## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## /2024-25 दिनांक $2 b$ जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $8146-55$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

619 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सीमा सिंह, <br> स०अ० | 27.11 .2021 | श्रीमती रामदुलारी <br> उ०मा०वि० औतों औरैया | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज सभागंज <br> पूरनारा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8/36-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती आराधना, | 19.1 .2015 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  | | पब्लिक इ ण्टर कालेज |
| :---: |
| गोला गोकर्णनाथ |
| लखीमपुरखीरी |$\quad$| गांधी शान्ति निकेतन |
| :---: |
| इण्टर कालेज गौहनिया |
| जसरा प्रयागराज | | रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तीतीय/ 2/26-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 627 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम/पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहॉ से \& कहॉ को \& अभ्युक्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4\end{array}\right]\)| 5 |
| :---: |
| श्रीमती नीतू, स0अ० |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $\quad 8226-35$ /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस ओशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
613

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रवि शंकर पाण्डेय, <br> प्रवक्ता | 30.4 .2022 | महर्षि शुकदेव इण्टर , <br> कालेज मोरना <br> मुजफ्फरनगर | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज सभागंज, <br> पूरबनारा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/8076-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचित)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $612 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेशउत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती पूनम देवी, <br> प्रवक्ता | 16.11 .2021 | नेहरू औद्योगिक इण्टर <br> कालेज सरसई जालौन | सर्वाय महाविद्यालय <br> इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8066-75
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

611<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रशान्त कुमार | 23.10 .2021 | सरयू प्रसाद सिंह <br> मिश्र, स०अ० <br> आमीडिएट कालेज, <br> आमुर गिर्दकोर्ट <br> प्रयागराज | जमुनापार इण्टर <br> कालेज अमरेहा जसरा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8056-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगातथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/<br>/2024-25 दिनांक 28<br>625 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रवीण कुमार | 23.11 .2021 | पंपातीराम उच्चतर <br> माध्यमिक विद्यालय <br> अगराना हाथरस | शुक्लपुर इण्टरमीडिएट <br> कालेज शुक्लपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8206-15
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती वन्दना सिंह, <br> स०अ० | 07.12 .2021 | लाल ऋषि कन्या <br> इण्टर कालेज <br> रायबरेली | ग्राम विकास इ ण्टर <br> कालेज देल्हपुर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
8156-65
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय / <br> 624 

स्थानान्तरण आदेश

यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारां प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नागेन्द्र कुमार, <br> स०अ० | 04.11 .2020 | निराला इण्टर कालेज <br> भगवन्तनगर उन्नाव | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज भीरपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8196-8205 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुंनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आशीष कुमार <br> शुक्ल, स०अ० | 24.9 .2013 | आदर्श इण्टर कालेज <br> जूडापुर बीहर दहियावा <br> प्रयागराज | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज सभागंज <br> पूरबनारा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$622 / 2024-25$ दिनांक<br>28<br>स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अच्युतानन्द, <br> स०अ० | 21.9 .2015 | श्री रणजीत पं० इण्टर <br> कालेज लोहगरा <br> प्रयागराज | महानारायण शुक्ल <br> इण्टर कालेज बरौत <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8176 - 85 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रोहित द्विवेदी, <br> स०अ० | 03.12 .2022 | बी0डी0बाजोरिया इण्टर <br> कालेज सहारनपुर | लोकमान्य तिलक <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8046-55
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगीः-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

609<br>/2024-25 दिनांक. 28 स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मिथेलेश कुमार, <br> स०अ० | 28.7 .2017 | पब्लिक इण्टर कालेज <br> ईसानगर <br> लखीमपुरखीरी | राम नरेश <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> पूरेधनऊ सुजौली कुण्डा <br> प्रतापगढ | रिक्त पद प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8036 -45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा. तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

608<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28
जूून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नीतू वर्मा, | 01.4 .2017 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ b026-35
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/614 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रमेश कुमार, <br> स०अ०-सम्ब्द प्राइमरी | 23.3 .2017 | श्री ब्रम्हचारी इण्टर <br> कालेज तिल्हापुर <br> कौशाम्बी | सर्वोदय आदर्श <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> जूडापुर बीहर दहियावा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8086 -95 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$615 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेश बहादुर <br> सिंह, स०अ० | 22.11 .2021 | जनता इं0का0अहद <br> अमेठी | शंकर विद्यालय इण्टर <br> कालेज कटैया <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8096-8105
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 617 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विजय प्रकाश, <br> स०अ० | 01.9 .2017 | शिक्षक बन्धु इण्टर <br> कालेज बालपुर गोण्डा | बाला प्रसाद कुशवाहा <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> बलरामपुर बरेठी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8116-2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय / <br> 616 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 11.5 .2022 |  |  |  |
| श्रीवास्तव, स०अ० | श्री त्यागमूर्ति आत्माराम <br> खेर इं0का० <br> गुरसराय झांसी | श्याम शंकर इं0का० <br> रामगंज प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |  |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8/06-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियो सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 603 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती पूनम यादव, | 25.11 .2021 | श्री लालचन्द्र इण्टर <br> स०अ० | पालेज जसरा <br> प्रयागराज | कालेज एवं <br> अ०सा0हाईस्कूल <br> प्रतापगढ |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7976-b5 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधाँन / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
$2^{-}$संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

631
/2024-25 दिनांक 28
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती उर्षी दीक्षित, <br> स०अ० | 16.4 .2021 | सर्वोपयोगी इण्टर <br> कालेज पलसेडा <br> अलीगढ | मदन मोहन मालवीय <br> इण्टर कालेज करछना <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## 629 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संजय कुमार | 01.12 .2021 | राजा रत्नसेन स्मारक <br> इण्डेय स०अ० | इन्द्रशेखर आजाद <br> कालेज निचलौल <br> महराजगंज | रण्टर कालेज बगईखुर्द पद <br> के प्रति <br> पागराज |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक। 

$8246-55$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

boy<br>/2024-25 दिनांक<br>20 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेश कुमार सिंह, <br> स०अ० | 08.7 .2017 | चौ0 रधुनाथ सहाय <br> इण्टर कालेज हथगांव <br> फतेहपुर | सीताराम सिंह इण्टर <br> कालेज बाबूगंज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7966 - 95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदें की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अविनाश सिंह, <br> स०अ० | 05.10 .2023 | डी०ए0वी0 इण्टर <br> कालेज अलीगंज एटा | इण्टर कालेज <br> मानिकपुर प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8256-65
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र.उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबध्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 628 <br> स्थानान्तरण आदेश <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती कविता देवी, | 03.12 .2021 |  |  |  |
| स०अ० | जनता इण्टर कालेज <br> जैतपुर कला आगरा | मेवा लाल अयोध्या <br> प्रसाद इण्टर कालेज <br> सोरांव प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8236-45
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक（माध्यमिक）उत्तर प्रदेश，प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य（1）तृतीय／

626

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम， 1921 （यथासंशोधन）में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या－840／15－05－2024－1600（169）／2018 दिनांक 12 जून， 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय／इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन－पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ－4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है：－

| नाम／पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ． |
| डॉ0 ओम प्रकाश सिंह， <br> प्रधानाध्यापक | 03.11 .1998 | किसान इण्टर कालेज <br> पकडी भोजपुर रामपुर <br> कला टाण्डा <br> अम्बेडकरनगर | जयनाथ मानव इण्टर <br> कालेज बैजलपुर <br> अमरगढ प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने，कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक की सेवापंजिका，अंतिम वेतन प्रमाण－पत्र एवं सम्बन्धित सेवा／शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक／प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे，जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है，तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी：－
1－वैयक्तिक सहायक，शिक्षा निदेशक（माध्यमिक）शिविर कार्यालय， 18 पार्क रोड，लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2－संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन－पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3－संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है，तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4－संबंधित प्रबन्धक／प्रधानाचार्य।
5－सम्बन्धित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक।
6－गार्ड पत्रावली।

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक（मा०） उत्तर प्रदेश।

 ，कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।<br>आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रचना यादव, <br> स०अ० | 30.11 .2021 | श्री देशबन्धु इण्टर <br> कालेज बैशकांटी <br> कौशाम्बी | जगत तारन गर्ल्स <br> इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

 पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/8016-25 उत्तर प्रदेश। 8024 तददिनांक।प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नलिनी मिश्रा, <br> स०अ० | 01.12 .2021 | जिला जन कल्याण <br> इण्टर कालेज उरसान <br> कानपुर देहात | इलाहाबाद इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $8006-15$ 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित केंें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( र्रमचित)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/<br>/2024-25 दिनांक 28<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री हरेन्द्र बाबू पटेल, <br> स०अ० | 10.10 .2023 | चौ0रधुनाथ सहाय <br> इण्टर कालेज हथगांव <br> फतेहपुर | इन्दिरा गांधी इण्टर <br> कालेज जाम्हा <br> मऊआईमा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7996-b005 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, ल़खन को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

46। $/ 2024-25$ दिनांक $2 b$ जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सरिता मिश्रा, <br> स०अ० | 25.11 .2021 | लगसमा कन्या इण्टर <br> कालेज गौण्डा अलीगढ | डी०पी०गर्ल्स इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 60 $46-55$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिकां, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभुअनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में, आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थांनुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निंद्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षां; निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक्की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निंरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन करायें जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगत़ान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

460
/2024-25 दिनांक 2 b जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेश कुमार, | 07.10 .2011 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6036-45$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/$459 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती दीपांजलि <br> सिंह, प्रवक्ता | 19.8 .2016 | लक्ष्मी नारायन जगदीश <br> सरन कन्या इण्टर <br> कालेज मुरादाबाद | सेवा समिति विद्या <br> मंदिर इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $6026-35$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज ।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक. शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सुरूचि सिंह, <br> स०अ० | 04.9 .2014 | बी0पी०शुक्ला इण्टर <br> कालेज तिलोकपुर <br> बाराबंकी | ईश्वर शरण <br> इण्टरीडिएट कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/60/6-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(समचित)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कृष्ण कुमार <br> स०अ० | 01.12 .2021 | राष्ट्रीय इण्टर कालेज <br> सुजानगंज जौनपुर | शिवाजी इण्टर कालेज <br> सहसो प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6006-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( समचेत)

$$
\begin{aligned}
& \text { उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) } \\
& \text { शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, } \\
& \text { प्रयागराज। }
\end{aligned}
$$

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

## 456

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विपिन कुमार <br> स०अ० | 30.12 .2021 | श्री ब्रम्हचारी इण्टर <br> कालेज तिल्हापुर <br> कोशाम्बी | आदर्श इण्टर कालेज <br> जूडापुर बीहर दहियावां <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 5996-6005 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
$\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \text { नाम/पदनाम } & \text { नियुक्ति तिथि } & \text { कहॉ से } & \text { कहॉ को } & \text { अभ्युक्ति } \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5\end{array} \left\lvert\, \begin{array}{c}\text { रिक्त पद } \\ \text { शे प्रति } \\ \hline \begin{array}{c}\text { श्रीववचन सिह, } \\ \text { प्रवक्ता }\end{array} \\ \hline 24.7 .2012 \\ \text { एस०ए०वी0इण्टर } \\ \text { कालेज भरथना इटावा }\end{array} \begin{array}{c}\text { इन्दिरा गांधी } \\ \text { इण्टरमीडिएट कालेज } \\ \text { जाम्हा मऊआइमा } \\ \text { प्रयागराज }\end{array}\right.\right]$

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 5986 - 95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

454<br>/2024-25 दिनांक 2 b<br>जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रेखा देवी, |  |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

 पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 5976-85 /2024-25 तददिनांक।प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी. पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रेश्मा गुप्ता, <br> स०अ० | 23.11 .2021 | चन्द्रशेखर <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> सभागंज पूरबनारा <br> प्रयागराज | शिव इण्टरमीडिएट <br> कालेज कटहरा <br> हण्डिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 5966 - 75 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानांचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ प7।<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती उषा, स०अ० | 10.7 .2017 | श्री अन्नदा चरण <br> बनर्जी आदर्श शिक्षा <br> सदन उ०मा०विद्यालय <br> चन्दईपुर मीरजापुर | शिव इण्टर कालेज <br> कटहरा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6146 -55 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगां तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।.
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामच्चेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय / <br> 47p <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अरविन्द कुमार <br> स०अ० | 04.8 .2017 | श्री स्वामी रामप्रकाश <br> आदर्श इण्टर कालेज <br> तिराहा, मुरहास जैतपुर <br> फर्रूखाबाद | अनन्त प्रसाद सिंह <br> इण्टर कालेज भदोही <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6136-45
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $469 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5 |
| श्रीमती आरती यादव, <br> प्रवक्ता | 30.11 .2021 | श्री गोविन्द सिंह <br> इंका० रौतापुर <br> रायबरेली | पी0बी०इण्टरमीडिएट <br> कालेज एवं अजीत <br> सार्वजनिक हाईस्कूल <br> प्रतापगढ सिटी <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6/2.6-35
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 468 <br> स्थानान्तरण आदेश <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री दुर्गेश कुमार | 27.11 .2021 | कल्याणकारी इण्टर <br> कालेज बधरा <br> सरोज, स०अ० | पं० जवाहर लाल नेहरू <br> इण्टर कालेज <br> जलालपुर सिकन्दरा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $61 / 6-25$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि प्रदेश/
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना
सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।<br>आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/<br>M67 /2024-25 दिनांक 2 \&<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री पवन मिश्र, प्रवक्ता | 28.3 .2017 | देवानागरी इण्टर <br> कालेज कुरावली <br> मैनपुरी | राम नरेश इण्टर <br> कालेज पूरेधनऊ <br> सुजौली कुण्डा <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6106-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त, ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
466
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नन्दलाल स0अ० | 22.11 .2021 | वी0के0हायर से0स्कूल <br> कुर्सीखेडा कानपुर <br> देहात | अढ़ौली इण्टर कालेज <br> अढ़ौली फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
6096 - 610S 2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6096-6105
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रमचचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०र्र०,
प्रयागराज ।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मनोज कुमार मिश्र, <br> स०अ० | 01.2 .2021 | जसवन्त राय स्मारक <br> इण्टर कालेज, गोरखा <br> गौरी गाजीपुर | बी०डी0दूबे इण्टर <br> कालेज पहाडपुर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6086-95
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशितं करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक़ के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 464
/2024-25 दिनांक 28
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुराग कुमार <br> दुबे, स०अ० | 25.11 .2021 | डी०ए0वी० इण्टर <br> कालेज टटौरी बागपत | स्वामी करपात्री इण्टर <br> कालेज कालेज <br> रानीगंज प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6076-65 \quad$ 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्यां-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आशीष कुमार | 22.11 .2021 | ग्राम्य दर्शन इण्टर <br> त्रिपाठी स०अ० <br> कालेज कल्यानपुर <br> कचरौली धाता फतेहपुर | बापू इण्टर कालेज <br> रेआ लालगंज <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6066-75 / 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| जाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुधाकर सिंह, <br> स०अ० | 26.11 .2021 | मुंशी गजाधर सिंह <br> जनता इण्टर कालेज <br> कौमरी हाथरस | लक्ष्मी नारायण इण्टर <br> कालेज मेजा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6056-65

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का
सत्यापन विभागीय सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
(रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 482 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त प़द के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री बृजेश कुमार सिंह, <br> प्रवक्ता | 11.9 .2006 | हीरालाल राम निवास <br> इण्टर कालेज <br> खलीलाबाद <br> संतकबीरनगर | राधारमण इण्टर कालेज <br> दारागंज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

 पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6256-65 /2024-25 तददिनांक।प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संर्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
481
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री दिनेश प्रसाद सिंह <br> स०अ० | 01.11 .2010 | सुभाष इण्टर कालेज <br> मथुरा | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज भीरपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6246-55 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। } \\
& 5-\text { सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक। } \\
& \text { 6- गार्ड पत्रावली। }
\end{aligned}
$$

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
480
/2024-25 दिनांक 28
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राकेश कुमार, <br> स०अ० | 18.5 .2012 | सर्वोदय इण्टर कालेज <br> शुदनीपुर जौनपुर | विक्रमादित्य सिंह इण्टर <br> कालेज गोरापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 62-36-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आतो है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| शिप्रा त्रिपाठी, स0अ० |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 62, 6-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विंद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 478 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| डॉ0 पवन कुमार <br> तिवारी,प्रधानाध्यापक | 21.7 .2022 | श्री नारायण इण्टर <br> कालेज बडैरा औरैया | श्री कृष्ण इण्टर कालेज <br> देवनहरी प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6216-25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

477<br>/2024-25 दिनांक 28<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेश कुमार <br> सरोज, स०अ० | 28.7 .2017 | श्री वीर सिंह इण्टर <br> कालेज बबीना जालौन | इन्दिरा गांधी इण्टर <br> कालेज जाम्हा <br> मऊआइमा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6206 - 15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वें इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


$$
\begin{aligned}
& \text { उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) } \\
& \text { शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, } \\
& \text { प्रयागराज। }
\end{aligned}
$$

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

476 /2024-25 दिनांक 2.8 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्दारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आशीष राज, <br> स०अ० | 29.11 .2021 | सर्वोदय इण्टर कालेज <br> पिपरांव फर्रूखाबाद | सीताराम सिंह इण्टर <br> कालेज बाबूगंज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6196-620S /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुधीर कुमार <br> कौशल, स०अ० | 13.7 .2012 | जनता इण्टर कालेज <br> जेवर गौतमबुद्दनगर | विक्रमादित्य सिंह इण्टर <br> कालेज गोरापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6186-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित कऱना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $474 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती पूनम देवी, <br> स०अ० | 01.12 .2021 | आदर्श कन्या इण्टर <br> कालीज गढमुक्तेश्वर <br> हापुड | आदर्श इण्टर कालेज <br> बहरामपुर फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6176-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
473
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विजय कुमार <br> पाण्डेय, स0अ० | 08.11 .2010 | पब्लिक इ ण्टर कालेज <br> कैराना शामली | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज बगईखुर्द <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6166-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अंध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयंक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रारचतत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
472
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संतोष कुमार, <br> स०अ० | 07.4 .2006 | राष्ट्रीय इण्टर कालेज <br> गुलडिया बदायू | मंगला प्रसाद इण्टर <br> कालेज बामपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6/56-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(ऐमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
4 \& 3 /2024-25 दिनांक 23 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अतुल प्रताप सिंह, <br> प्रवक्ता | 29.11 .2021 | डी०एस०एम०इण्टर <br> कालीज कांठ <br> मुरादाबाद | विक्रमादित्य सिंह इण्टर <br> कालेज गोरापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

## पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/62.66-75/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री वीरेन्द्र <br> प्रताप यादव, सहायक <br> अध्यापक | 25.09 .2017 | उच्च्तर माध्यमिक <br> विद्यालय सेलूमऊ, <br> सीतापुर | हनुमत इण्टरमीडिएट <br> कालेज, कालाकांकर, <br> प्रतापगढ़। | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/4466-15
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र०, प्रयागराज।.

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $296 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विनोद कुमार <br> भारतीय, स०अ० | 07.12 .2010 | सेठ वृंदावन इण्टर <br> कालेज कोंच जालौन | ईश्वर शरण इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/4396 $4405 / 2024-25$ तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वांरा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय//2024-25 दिनांक 2 b जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री ज्वाला प्रसाद | 14.3 .2012 | जनता इण्टर कालेज <br> छिंह, स०अ० सम सम्भल | माधव इण्टरमीडिएट <br> कालेज सरस्वती आश्रम <br> बमैला हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 43 b 6 -95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 294
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विनोद कुमार <br> सिंह, स०अ० | 23.7 .2013 | श्री बृजहितकारी इण्टर <br> कालीज बाजना मथुरा | श्रृंगी ऋषि इण्टर <br> कालेज घटवा करछना <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/4376-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधांन / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
## 293

/2024-25 दिनांक 2 b
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती प्रज्ञा मिश्र, <br> स०अ० | 04.8 .2017 | इण्टर कालेज सेरसा <br> मथुरा | नेशनल इण्टर कालेज <br> भरवारी कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4366-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना
सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं
विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $292 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनेक बाबू साहू, <br> स0अ० | 09.5 .2022 | शिक्षा निकेतन इण्टर <br> कालेज ओबरा सोनभद्र | कृषक इण्टर कालेज <br> हिनौता कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4356-65
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
.4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## 291 <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| श्री चन्द्रमणि, स0अ० |
| :---: |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $4346-55$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अजीत कुमार, <br> स०अ० | 01.7.2022 | काषक उच्चतर <br> माध्यमिक विद्यालय <br> खैइया बसहा लखीमपुर <br> खीरी | गंगा चरन संधारी लाल <br> इण्टर कालेज बुढवा <br> फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4336 - 45 2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य। } \\
& \text { 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। } \\
& \text { 6- गार्ड पत्रावली। }
\end{aligned}
$$


( रामचेत )
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

## $209 \quad / 2024-25$ दिनांक 2 b <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रमाशंकर राकेश <br> स०अ० | 04.8 .2010 | देवेश्वर राजकुंवर <br> पाण्डेय इण्टर कालेज <br> नवीगंज मैनपुरी | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज <br> लोकमनपुर बरौत <br> हण्डिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $4326-35$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक（माध्यमिक）उत्तर प्रदेश，प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य（1）तृतीय／
288
／2024－25 दिनांक 28
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम， 1921 （यथासंशोधन）में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या－840／15－05－2024－1600（169）／2018 दिनांक 12 जून， 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय／इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन－पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ－4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है：－
जाता है：－

| नाम／पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संदीप कुमार， <br> स०अ० | 12.7 .2017 | आर0एस०इण्टर कालेज <br> पुरैया बेवर मैनपुरी | चन्द्रभानु इण्टर कालेज <br> दमापुर फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक（मा०）

## उत्तर प्रदेश।

## पृष्ठांकन संख्याःसामान्य（1）तृतीय／43／6－25／2024－25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने，कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक की सेवापंजिका，अंतिम वेतन प्रमाण－पत्र एवं सम्बन्धित सेवा／शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक／प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे，जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है，तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी：－
1－वैयक्तिक सहायक，शिक्षा निदेशक（माध्यमिक）शिविर कार्यालय， 18 पार्क रोड，लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2－संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन－पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3－संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है，तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4－संबंधित प्रबन्धक／प्रधानाचार्य।
5－सम्बन्धित प्रधान／प्रवक्ता／अध्यापक।
6－गार्ड पत्रावली।
（ （xम⿵冂卄 ）

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अमर पाल सिंह, <br> स०अ० | 19.05 .2017 | नेहरू इण्टर कालेज <br> महोबा | जनसेवा इण्टरमीडिएट <br> कालेज मुहीउद्दीनपुर <br> सरायममरेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4286-95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

284<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रभाशंकर तिवारी, <br> स0अ० | 15.11 .2021 | आद्या प्रसाद इण्टर <br> कालेज घूस देवघाट <br> प्रयागराज | राजाराम किसान इण्टर <br> कालेज डभियार <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4276-85$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय// निदेक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, 2024 -25नांक 28 जून, 2024263

/2024-25 दिनांक 28
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सुमन सिंह, <br> स०अ० | 27.7 .2017 | माता सेवक इण्टर <br> कालेज बैरीबीसा भदोही | ब्वायज इण्टर कालेज <br> सी०ओ0डी० छिवकी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4266-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपक द्वारा सस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /<br>282<br>/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती अनुराधा रानी <br> मिश्रा, स०अ० | 30.6 .2011 | श्रीमती शुकन्तला <br> देवी यादव कन्या इण्टर <br> कालेज रामनगर मेजा <br> प्रयागराज | सेवा समिति विद्या <br> मन्दि इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $42.56-65$ /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें प्रधा/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य था यदि प्रकरण में कोई
भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएग तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक़) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक संत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड, पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

## 281 <br> स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री जितेन्द्र कुमार | 01.8 .2017 |  |  |  |
| पटेल, स०अ० | भारत भक्त समाज <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> ब्योजा बांदा | सरदार बल्लभ भाई <br> पटेल इण्टर कालेज <br> जलालपुर कस्बा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4246-55
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

$280 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्धारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री ज्ञान सिंह, स०अ० | 26.10 .2021 | किसान इण्टर कालेज <br> विद्यानगर चोला <br> बुलन्दशहर | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> लोकमनपुर बरौत <br> हण्डिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

## पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4236-45$ <br> /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संर्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /<br>279<br>/2024-25 दिनांक 28<br>जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुज कुमार मिश्र, <br> स०अ० | 06.12 .2021 | राजा भरत सिंह इण्टर <br> कालेज नांगल बिजनौर | बी०डी०दूबे <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> पहाडपुर प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4226 - 35 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती अनुपमा देवी, <br> प्रवक्ता | 08.8 .2012 | वैदिक कन्या इण्टर <br> कालेज दादरी <br> गौतमबुद्वनगर | विद्या मंदिर इण्टर <br> कालेज गांजा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ प7S6-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुज | 13.5 .2017 | सर्वोदय इण्टर कालेज <br> लौगपुर इटावा | लाला मनमोहन दास <br> इण्टर कालीज झूंसी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

> सुरेन्द्र कुमार तिवारी
> अपर शिक्षा निदेशक(माo)
> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 474 b-5s
प्रतिलिपि निम्नलिखित को /2024-25 तददिनांक
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में होने कार्यभार ग्रहण करने की सचना निदेशा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, संतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेश़क को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$330 \quad / 2024-25$ दिनांक 2b स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
जाता ह:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री हरिशंकर त्रिपाठी, <br> स०अ० | 08.10 .2020 | मिश्री लाल इण्टर <br> कालेज मवैया मीरजापुर | श्री बृज मंगल सिंद <br> इण्टर कालेज रापुर <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4736-45/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/रैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपऱान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

329
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मोहम्मद इरफान | 18.12 .2021 | श्री मानिकचन्द्र इण्टर <br> कालेज, लाढपुर <br> उल्ला खान, स०अ० | आदर्श उ0मा०विद्यालय <br> डाहीनुमाया करहेंदा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4726-35 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होंने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्युमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

328

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राकेश कुमार, | 01.9 .2012 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/47।b-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शैलेन्द्र विक्रम | 24.12 .2021 |  |  |  |
| सिंह, स०अ० |  | गोस्वामी तुलसीदास <br> कृषक इण्टर कालेज <br> कोरांव प्रयागराज | से0रा०प० नेशनल <br> इण्टर कालेज हण्डया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4706-15
/2024-25 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली। <br> \section*{कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> \section*{कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> <br> 326 <br> <br> 326 <br> <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024} <br> <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024}

उस्तानान्तरण आदेश प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अम्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री दूधनाथ सरोज, <br> स०अ० | 13.7.2012 | जनता इण्टर कालेज <br> जेवर गौतमबुद्धनगर | राम अंजोर मिश्र इण्टर <br> कालेज लालगंज <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4696 - प\% ०5 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्रापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( खमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज ।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

325
/2024-25 दिनांक 2 b
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री हंसराज, स०अ० | 01.12 .2021 | एम0पी0पी0इं0का0 <br> बलरामपुर | स्वामी चन्द दास इण्टर <br> कालेज हसवा फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 46 86-95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> $32 \mu$ <br> /2024-25 दिनांक 28

जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुशील कुमार | 11.12 .2021 | कृषक इण्टर कालेज <br> सिंह, स०अ० | आर0पी0 रस्तोगी इण्टर <br> कालेज मलाक हरहर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4676-85$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4-
संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## $323 / 2024-25$ दिनांक $2 b$ जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राविल्सन स०अ० | 01.7 .2006 | बाबा हरिपुरी इण्टर <br> कालेज कसावा कन्नौज | आई०के०एम0 इण्टर <br> कालेज आनापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4666-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

322

/2024-25 दिनांक 28
जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नीलम | 01.7 .2022 | प्रेमदेवी अग्रवाल गर्ल्स <br> इण्टर काले, मथुरा | शारदा देवी <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> नौड़िया तरहार <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमांर तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृंत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

> 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।
> 5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक ।
> 6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अभिषेक सिंह, <br> स०अ० | 09.10 .2021 | सनातन धर्म इण्टर <br> कालेज हसनपुर मैनपुरी | डा0 के0पी0जायसवाल <br> इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4646-55
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यंह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
( समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशेलय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अरूण कुमार सिंह, <br> प्रवक्ता | 17.8 .2009 | डी0ए0वी० इण्टर <br> कालेज मुजफ्फरनगर | चौ0 शिव सहाय सिंह <br> इण्टर कालेज <br> जयरामपुर फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/4636-45/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम / पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहॉ से \& कहॉ को \& अभ्युक्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4 \& 5\end{array}\right]\)| रिक्त पद |
| :---: |
| श्री संतोष कुमार सिंह, |
| प्रवक्ता |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4626 - 35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत हैं तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। } \\
& 5-\text { सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक। } \\
& \text { 6- गार्ड पत्रावली। }
\end{aligned}
$$



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

3/B/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सुरभि सिंह, स०अ० | 04.7 .2022 | इन्दिरा बालिका उ०मा० <br> विद्यालय नन्दगंज <br> गाजीपुर | सीताराम सिंह इण्टर <br> कालेज बाबूरंज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/46/6-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

317
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुराग कुमार, <br> स०अ० | 27.11 .2021 | जय भारत इण्टर <br> कालेज छपार <br> मुजफ्फरनगर | शारदा देवी इण्टर <br> कालेज नौड़िया तरहार <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4606-15 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
316
स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री दिवाकर सिंह, <br> प्रवक्ता | 01.4 .2022 | स्वतंत्र भारत इण्टर <br> कालेज सलारपुर हापुड | श्री सुभाषचन्द्र इण्टर <br> कालेज छीतुर्र बलापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4596-4605 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

## आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुदीप पाण्डेय, |  |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |$\quad 23.11 .2021 ~$| किसान इण्टर कालेज |
| :---: |
| अलीपुर खेडी |
| मुजफ्फरनगर | | श्री रणजीत पंडित |
| :---: |
| इण्टर कालेज नैनी |
| प्रयागराज |$\quad$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4586-95
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थाऩान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विश्वजीत कुमार, <br> स०अ० | 26.11 .2021 | जिला पंचायत इण्टर <br> कालेज दोहथा <br> प्रयागराज | श्री कृष्ण इण्टर कालेज <br> देवनहरी सहसो <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4576-85
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निर्स्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(मध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 313 <br> /2024-25 दिनांक <br> स्थानान्तरण आदेश <br> 28 जून, 2024 <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिकं विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री हमराज, प्रवक्ता | 17.1 .2009 | श्री रामकृष्ण विद्या <br> मन्दिर इए्टर कालेज <br> चांदपुर पटवध <br> आजमगढ | ब्वायज इण्टर कालेज <br> सी0ओ0डी० छिवकी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4566-75$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित 2024-25 तददिनांक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| श्रीमती शशि, स0अ० |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4546 - 55 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

3/2
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती प्रीति सिंह, <br> स०अ० | 01.4 .2022 | आर्य कन्या इण्टर |  |  |
| कालेज कैराना शामली |  |  |  |  | | पं० हनुमत्त दत्त |
| :---: |
| त्रिपाठी इण्टर कालेज |
| इसमाइलगंज प्रयागराज | | रिक्त पद प्रति |
| :---: |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4556 - 65 /2024-25 त़ददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डांक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

491

/2024-25 दिनांक 2b जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री केदार कुमार <br> पासवान, प्रवक्ता | 22.10 .2016 | श्री बंश गोपाल इण्टर <br> कालेज रसूलपुर <br> लदिगवा फतेहपुर | ईश्वर शरण इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6346-55$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $490 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 <br> \section*{स्थानान्तरण आदेश} 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुभाष चन्द्र, <br> प्रवक्ता | 19.4 .2017 | जनतन्त्र इण्टर कालेज <br> कुलपहाड महोबा | गोमती इण्टर कालेज <br> फूलपुर प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6336-45$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र. उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

409<br>/2024-25 दिनांक<br>स्थानान्तरण आदेश

28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नीति वर्मा, | 15.11 .2021 |  |  |  |
| स०अ० |  | भगवती प्रसाद ओमर <br> बालिका इण्टर कालेज <br> बीदा | नगर पालिका नेहरू <br> इण्टर कालेज बिन्दकी <br> फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6326-35$ /2024-25 तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा /शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य कों पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०र्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$488 / 2024-25$ दिनांक 28<br>स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सविता कुमारी, <br> प्रवक्ता | 03.9 .2012 | जनता कन्या इण्टर <br> कालेज शिवपुरी <br> खतौली, मुजफ्फरनगर | वशिष्ठ सेवा संध <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> महेवा कला नहवाई <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6316-25$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मंजीत कुमार वर्मा, <br> प्रवक्ता | 23.2 .2021 | एम0जी०एच0एम0इण्टर <br> कालेज मारहरा एटा | बृजेन्द्रमणि इण्टर <br> कालेज कोहडौर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6306-15
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( समचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

486<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक
28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती संयोगिता <br> स०.अ० | 15.2 .2021 | सरयू प्रसाद सिंह <br> इण्टर कालेज आमीपुर <br> गिर्दकोट प्रयागराज | जनसेवा इण्टर कालेज <br> मुहीउद्दीनपुर <br> सरायममरेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

## अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/6296-6305/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सूनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक<br>स्थानान्तरण आदेश

26 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
$\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \text { नाम / पदनाम } & \text { नियुक्ति तिथि } & \text { कहॉ से } & \text { कहॉ को } & \text { अभ्युक्ति } \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \text { श्री विश्वदीप मिश्र, } & 04.12 .2021 & \begin{array}{c}\text { रधुवीर सिंह किसान } \\ \text { स०्टर कालेज } \\ \text { स०अ }\end{array} & & \begin{array}{c}\text { भगवानदीन दुबे इण्टर } \\ \text { कालेज पहाडपुर } \\ \text { स्रावी हापुड }\end{array}\end{array} \begin{array}{c}\text { रिक्त पद } \\ \text { के प्रति }\end{array}\right\}$

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6286-95$ 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $484 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कमलेन्द्र प्रकाश <br> द्विवेदी, स०अ० | 01.7 .2009 | चन्द्रशेखर आजाद <br> इं0का० गैनी बरेली | अवधेश इं0का0 धारूपुर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 62, 6-Ob /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 501 <br> /2024-25 दिनांक 23 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संजय कुमार, <br> स०अ० | 23.12 .2021 | श्री ठाकुर जी महराज <br> इण्टर कालेज हेरवल <br> हरदोई | जनता इण्टर कालेज <br> इमामगंज बरौत <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6446-55
/2024-25 तददिनांक.|
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक़ के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज ।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

500 /2024-25 दिनांक<br>28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती पूनम यादव, <br> स०अ० | 29.11 .2021 | मूलचन्द इण्टर कालेज <br> सैनपुर परासौली <br> मुजफ्फरनगर | विद्यावती यादव स्मारक <br> महर्षि केषक इण्टर <br> काले हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6436-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

499<br>/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजमणि, स०अ० | 20.10 .2021 | वैदिक इण्टर कालेज <br> मुजफ्फराबाद सहारनपुर | पब्लिक इण्टर कालेज <br> मोतिहा हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6426-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

## 498

/2024-25 दिनांक
28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| जाता ह:- |
| :--- |
| नाम/पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉ से कहॉ को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4 5 |
| श्रीमती ऋतम्भरा दुबे, <br> स0अ० |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6416-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचनत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

497<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम/पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहॉ से \& कहॉ को \& अभ्युक्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4\end{array}\right]\)| 5 |
| :---: |
| श्रीमती आकांक्षा पाल, <br> प्रवक्ता |
| 15.9 .2022 | | दिगम्बर जैन कन्या |
| :---: |
| इण्टर कालेज कैराना |
| शामली |$\quad$| इण्डियन गर्ल्स इण्टर |
| :---: |
| कालेज प्रयागराज | | रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6406-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
496
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती अलका यादव, <br> स०अ० | 01.12 .2021 | बी०एन0बी०इण्टर <br> कालीज मडियाहू <br> जौनपुर | लाला मनमोहन दास <br> इण्टर कालेज झूंसी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 639 6-6405 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
495
स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री स्नेह प्रकाश, <br> स०अ० | 17.3 .2012 | श्री राधा कृष्ण इण्टर <br> कालेज तलपुरवा <br> सिद्वार्थनगर | उच्चतर माध्यमिक <br> विद्यालय अतरसण़ड <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6386-95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

494<br>स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संर्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुभव | 06.7.2019 | मधुसूदन विद्यालय <br> इण्टर कालेज <br> सुलतानपुर | डा0 केषपी०जायसवाल <br> इण्टर कालेज <br> मुठी्ठगंज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

> सुरेन्द्र कमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(माo)
> उत्तर प्रदेश।
> / 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6376-85
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

## 4-

5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

493<br>/2024-25 दिनांक 28<br>स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री बलवन्त सिंह <br> पटेल, स०अ० | 22.8 .2019 | राधा कृष्ण गुप्त आदर्श <br> विद्यालय इण्टर कालेज <br> दिलदारनगर गाजीपुर | शिवाजी इण्टर कालेज <br> नेवादा कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6366 -75 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | <br> 492 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मनोज कुमार <br> प्रवक्ता | 19.4 .2010 | श्री जे0पी0शर्मा इण्टर <br> कालेज बबेरू बांदा | के00पी0 इण्टरमीडिएट <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तुतीय/ 6356-65
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

507<br>/2024-25 दिनांक 2b जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संजय यादव, | 15.11 .2021 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6506-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(नाघ्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रतन कुमार सिंह, <br> स०अ० | 01.12 .2021 | एस०एम0एम0जे0सी0इण्टर <br> कालेज खुर्जा बुलन्दशहर | रानी राजेश्वरी कुमारी <br> इण्टर कालेज <br> दिलीपपुर प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/6496-6505 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> 505 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती प्रियंका मौर्य <br> प्रवक्ता | 13.7 .2022 | श्री तुलसी इण्टर <br> कालेज राजापुर <br> चित्रकूट | डी0पी०गर्ल्स इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
6486-95
/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। $504 \quad / 2024-25$ दिनांक <br> उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रमोद कुमार | 03.2 .2021 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6476-85
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थाना 2024-25 तददिनांक।
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तरंत हुतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/गैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करिलेख तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी
पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 

503<br>/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6466-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

# 502 

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विमलेश कुमार <br> आनन्द, स0अ० | 20.11 .2021 | श्री भागवत राष्ट्रीय <br> इण्टर कालेज पटियाली <br> कासगंज | श्री रणजीत पंडित <br> इण्टर कालेज लोहगरा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## 6458-65

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें
तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्त शिक्षा तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 509

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

स्थानान्तरण आदेश

28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री इन्द्रभान पटेल, <br> स०अ० | 19.8 .2017 | श्री भगवती विद्यालय <br> इण्टर कालेज मुरामऊ <br> रायबरेली | तिलक महाविद्यालय <br> इण्टर कालेज कोटवा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

## पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय <br> 2024-25 तददिनांक

 आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय//2024-25 दिनांक 28

## 278 <br> स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राम प्रसाद, स0अ० | 28.2 .2019 | तपसी इण्टर कालेज <br> सेमरहना श्रावस्ती | राजाराम इण्टर कालेज <br> हरदों फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 4216-25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 277 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनिल कुमार <br> पटेल, स०अ० | 21.4 .2022 | जागृति इण्टर कालेज <br> सूरतगंज बाराबंकी | श्री लाल बहादुर शास्त्री <br> उ०मा० विद्यालय <br> बसहरा तरहार <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4206-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

276

/2024-25 दिनांक 28
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्रापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अम्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री ओम प्रकाश सिंह, <br> स०अ० | 07.4 .2012 | पार्वती राष्ट्रीय इण्टर <br> कालेज सिद्वपुर <br> कासगंज | राम कृपाल सिंह | रिक्त पद <br> राष्ट्रीय हा०से०स्कूल <br> दिकरी हनुमानगंज <br> प्रयागराज |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4196 - $4205 / 2024-25$ तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारां संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती वीनू सिंह, <br> स०अ० | 10.12 .2021 | डी०ए०वी० इण्टर <br> कालेज जानसठ <br> मुजफ्फरनगर | फतेह बहादुर <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> हीरागंज ऐंधा प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

## अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4186-95$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राकेश कुमार, <br> स0अ० | 29.3 .2012 | भदॉव इण्टर कालेज <br> थलईपुर मऊ | श्री सुभाष चन्द्र इण्टर <br> कालेज छीतुर बलापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4176-85$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
273
/2024-25 दिनांक
26
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| डॉ0 संतोष कुमार | 07.7 .2022 |  |  |  |
| शुक्ल, प्रधानाचार्य | वैदिक टेक्नीकल एवं <br> औद्योगिक इण्टर <br> कालेज दिबियापुर <br> औरैया | लाल बहादुर शास्त्री <br> इण्टर कालेज धरवारा <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4166-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 272

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
स्थानान्तरण आदेश
जून, 2024
/2024-25 दिनांक 28
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती कल्पना गुप्ता, <br> प्रवक्ता | 23.11 .2021 | श्री कृष्ण जाजू कन्या <br> इण्टर कालेज डिबाई <br> बुलन्दशहर | श्री लाल चन्द्र इण्टर <br> कालेज जसरा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4/56-65
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

271
स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:- -

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती इन्दु वर्मा, <br> स०अ० | 22.4 .2021 | भगवती प्रसाद ओमर <br> बालिका इण्टर कालेज <br> बांदा | केसर विद्यापीठ इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4/46-55
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय / <br> $27^{\circ}$ <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राकेश कुमार <br> पुष्पकार, प्रवक्ता | 25.4 .2017 | श्री भगवती विद्यालय <br> इण्टर कालेज मुरारमऊ <br> रायबरेली | जवाहर लाल नहहरू <br> महाविद्यालय चौबारा <br> न्यायीपुर प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4136-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक कों वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रमचचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०र्र०,

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

263<br>/2024-25 दिनांक 2b<br>स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4/16-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बध्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( समचेत)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> $269 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
| श्री शिवाकान्त प्रताप <br> सिंह, प्रवक्ता | 15.10 .2016 | डी०ए०वी० इण्टर <br> कालेज बांदा | महेश्वरी प्रसाद इण्टर <br> कालेज आलमचन्द्र <br> कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4126-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
## 267.

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विनय .कुमार, <br> प्रवक्ता | 05.12 .2016 | डी0ए0वी० इण्टर <br> कालेज बांदा | पब्लिक इण्टर कालेज <br> मोतिहा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/4106-15
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रंहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित, जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

266<br>स्थानान्तरण आदेश

2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4096 - 4/05
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक़ के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
(रमचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कपिल देव स०अ० | 27.8 .2019 | जन विजय इण्टर <br> कालेज कुर्डी नांगल <br> बागपत | ईश्वर शरण इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4066-95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालयं प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $264 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेन्द्र प्रताप <br> बहादुर सिंह, स०अ० | 15.2 .2014 <br> श्री चन्दनलाल नेशनल <br> इण्टर कालेज कांधला <br> शामली | लाला जंगीलाल इण्टर <br> कालेज कोहडार मेजा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |  |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4076-bs /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
263
स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4066-75$ 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापकं की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्त्ररण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 262 <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रदीप कुमार <br> सरोज, स०अ० | 18.11 .2010 | श्री दीपचन्द्र इण्टर <br> कालेज नौगवां हाथरस | जवाहर लाल नेहरू <br> महाविद्यालय चौबारा <br> न्यायीपुर प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $4056-65$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

26<br>/2024-25 दिनांक 28<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखिंत संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मोहन लाल | 22.4 .2021 | सर्वोदय इण्टर <br> कालेज घटावन <br> पूनीखेडा मुजफ्फरनगर | सरस्वती सदन इण्टर <br> कालेज मर्रो हरिपुर मर्रो <br> हण्डिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4046-35$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर सीनान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। सीनान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख तथा संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित
प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह सीनान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्व विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से करांये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

266
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सौरभ त्रिपाठी, |  |  |  |  |
| स0अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4036-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्धारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉॅ से | 'कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री फूलचन्द्र सरोज, स०अ० | 24.8.2012 | वैदिक इण्टर कालेज कुरमाली शामली | पी0बी0इण्टर कालेज एवं अ०सा०हाईस्कूल प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ | रिक्त पद के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4026 -35 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर्र कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी संर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती आरती सिंह, <br> स०अ० | 22.11 .2021 | महात्मा गांधी बालिका <br> विद्यालय इए्टर कालेज <br> फिरोजाबाद | इलाहाबाद इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4506 -15 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> 306

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री ज्ञान प्रकाश , <br> स०अ० | 29.11 .2021 | इण्टर कालेज जटपुरा <br> मुकीमपुर बुलन्दशहर | डा0 के0पी0जायसवाल <br> इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति | <br> \section*{\title{

सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> \section*{\title{
सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> <br> <br> अपर शिक्षा निदेशक़(मा०) <br> <br> <br> अपर शिक्षा निदेशक़(मा०) <br> <br> <br> उत्तर प्रदेश।
}} <br> <br> <br> उत्तर प्रदेश।
}}
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/. $4496-4505$ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने प्रधान/प्रवक्ता/अध्रापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जा जाय। स्थानान्तरित
प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका अंतिम वेतन प्रमाण-फा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/रैक्षिक अभिलेख
स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचान्य को पंजीकूत डक्र स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानानचार्य को पंजीकृत-पात्र एवं सम्बन्धित सेवा/रैक्षिक अभिलेख
तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्तं शिक्षा निदेश् कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्तं शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आतनम है, तो यह सा प्थोनान्त्ररण में अनेशन्य थे। यदि प्रकरण में कोई
तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:- निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। -
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

305
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018. दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मनोज प्रताप सिंह <br> स०अ० | 01.12 .2021 | जनता इण्टर कालेज <br> हरसौली मुजफ्फरनगर | मंगला प्रसाद इण्टर <br> कालेज बामपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4486 / 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिलां विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धंक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
$304 / 2024-25$ दिनांक 26 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विकास कुमार, | 01.12 .2021 | श्री ताराचन्द्र इण्टर <br> सालेज शिवाजी <br> स०अ० | गंगाचरन सधारी लाल <br> इण्टर कालेज बुढवा देहात <br> फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक। 

 को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
$303 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री जगदीश मौर्य, <br> स०अ० | 20.4 .2021 | कलविन इण्टर कालेज <br> महमूदाबाद सीतापुर | मोतीलाल नेहरू इण्टर <br> कालेज कौंधियारा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4466 - 75 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नीलम यादव, <br> स०अ० | 17.11 .2021 | श्री स्वामी सर्वानन्द <br> इण्टर कालेज नगला <br> पैज परियर फिरोजाबाद | इण्डियन गर्ल्स इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

> सुरेन्द्र कुमार तिवारी
> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
> उत्तर प्रदेश।
> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4456-65
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अरूण कुमार <br> कुशवाहा, स०अ० | 29.10 .2021 | खैर इण्टर कालेज खैर <br> अलीगढ | जवाहर लाल नेहरू <br> स्मारक इण्टर कालेज <br> जारी प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $4446-55$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक़ अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य()तृतीय/
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संजय सिंह, <br> स०अ० | 25.8 .2017 | आदर्श इण्टर कालेज <br> बडगांव सहारनपुर | सेवा समिति विद्या <br> मंदिर इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिंवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4436-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आतां है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

29 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवंक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार, स०अ० | 03.7.2017 | सर्वोदय इण्टर कालेज किशनपुर फतेहपुर | मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज करछना प्रयागराज | रिक्त पद के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4426-35 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिंपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

29 / /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अजीत कुमार <br> गौतम, स०अ० | 22.11 .2021 | समर सिंह इण्टर <br> कालेज रामपुरा जालौन | श्री भगवादीन सिंह <br> इण्टर कालेज शम्भूचक <br> डोहरिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4416 - 25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

253<br>/2024-25 दिनांक<br>28<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कीमारी अमिता | 01.12 .2021 | जे0जे0इण्टर कालेज <br> सुलतानपुर चिलकाना <br> सहारनपुर | स्वामी चन्द्र दास इण्टर <br> कालेज हसवा फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 3966-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को त़त्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

252

/2024-25 दिनांक
28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कंचन कुमार | 05.3 .2011 | राम सजीवन लाल <br> इ्रीवास्तव, स0अ० | चन्द्र शेखर आजाएट कालेज <br> खमरिया संत रविदास <br> नगर भदोही | रिक्त पद <br> इगईरीडिएट कालेज प्रयागराज <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3956 -65/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

310

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |$|$| रिक्त पद |
| :---: |
| के०वन्दना देवी स०अ० प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>\section*{उत्तर प्रदेश।}

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

$$
4536-45
$$

/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 309 <br> /2024-25 दिनांक 28 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधुन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संदीप कुमांर, | 15.11 .2022 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/4526-35 उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$258 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती ज्योति वर्मा, <br> स०अ० | 13.10 .2021 | जे0पी0आर०एन0 अमर <br> इण्टर कालेज जाजमऊ <br> कानपुर | करारी इण्टरमीडिएट <br> कालेज करारी कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 4016 - 25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवांही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

308

/2024-25 दिनांक
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पंत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनिल कुमार सिंह |  |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4516-25
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोंई भी तथ्य गोंपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कमलेश | 01.12 .2021 | श्री राधा कृष्ण इण्टर <br> कालेज हसनपुर मथुरा | शिवाजी इण्टर कालेज <br> सहसो प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7346-55 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 54।
$/ 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती मनोरमा, <br> प्रवक्ता | 08.10 .2016 | डी0ए0वी० इण्टर <br> कालेज ऊन शामली | पी0बी0इण्टरमीडिएट <br> कालेज एव अजीत <br> सार्वजनिक हाईस्कूल <br> प्रतापगढ सिटी <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7356-65

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $2024-25$ तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थीनान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय
प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह
सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टिया विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रंजना सिंह, <br> स०अ० | 16.11 .2021 | बालका उ०मा०विद्यालय <br> बालका बुलन्दशहर | शिवाजी इण्टर कालेज <br> पटेल नगर खेरहट खुर्द <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7366-75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विमलेश कुमार, <br> याथी, स०अ० | 17.8 .2019 | श्री जवाहर इण्टर <br> कालेज बामनौली <br> बागपत | हनुमत इण्टरमीडिएट <br> कालेजद्ठ कालाकांकर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7666-73
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

573 /2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश
जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शैलेश कुमार <br> शुक्ल, स0अ० | 11.8 .2017 | आई०जी0इ ण्टर <br> कालेज ताल्हापुर <br> सहारनपुर | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज भीरपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7676 - 85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
( रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## 571 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
$\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \text { नाम/पदनाम } & \text { नियुक्ति तिथि } & \text { कहॉ से } & \text { कहॉ को } & \text { अभ्युक्ति } \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \text { श्री प्रदीप कुमार } & 26.9 .2022 & \begin{array}{c}\text { श्री गांधी सार्वजनिक } \\ \text { त्रिपाठी, स0अ० }\end{array} & & \begin{array}{c}\text { आदर्शर इण्टर कालेज } \\ \text { जैथरा एटा }\end{array}\end{array} \begin{array}{c}\text { रूक्त पद } \\ \text { जूडापर बीहर दहियावा } \\ \text { क्रेयागराज प्रति }\end{array}\right]$

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7656-65
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/रैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगीः-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /<br>$570 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निज़ी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सूर्य मणि पाण्डेय, <br> स०अ० | 01.3 .2021 | श्री अशोक विद्यालय <br> इण्टर कालेज कमाला <br> जूड बागपत | से०रा०प०नेशनल इण्टर <br> कालेज हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $7646-55$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

$569 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती पूजा | 10.10 .2013 | जिला पंचायत इण्टर <br> कालेज पश्चिम शरीरा <br> कौशाम्बी | इलाहाबाद इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7636-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ताः अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र. उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह
सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तिति का आध 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 563 <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 

उत्तर प्रदेशनान्तरण आदेश
संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्याल्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सुधा कुमारी, | 23.11 .2021 | लाल बहादुर शास्त्री <br> सिक्षा निकेतन इण्टर <br> सालेज पिपरा मदन <br> गोपाल देवरिया | इलाहाबाद इण्टर <br> कालेज इलाहाबाद | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7626-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/<br>$567 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अरूण कमार सिंह, <br> प्रवक्ता | 15.7 .2009 | प्रेम महाविद्यालय इण्टर <br> कालेज वृन्दावन मथुरा | श्री महाबल सिंह इण्टर <br> कालेज लेहडी मेजा <br> रोड प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तीतीय/ $76 / 6-25$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
566
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री महेश कुमार, <br> स०अ० | 20.5 .2021 | किसान उपकारक <br> इण्टर कालेज भवालपुर <br> सम्भल | चौ0 रामेश्वर सिंह शिव <br> बालक सिंह इण्टर <br> कालेज बेलाई फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7606-15$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

565
स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विनीत सिंह, | 29.11 .2021 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |$\quad$| बरेली कालोजिएट |
| :---: |
| मॉडल हायर सेकेन्ड्री |
| स्कूल बरेली |$\quad$| के0पी०हिन्दू |
| :---: |
| इण्टरमीडिएट कालेज |
| प्रतापगढ |$\quad$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7596-7605/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित. प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/564 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | \left\lvert\, | श्रीमती सुधा शुक्ला, |
| :---: |
| स०अ० |$\quad 13.5 .2021 ~$| ए०एच0पी० इण्टर |
| :---: |
| कालेज छाटमलपुर |
| सहारनपुर | | इण्डियन गर्ल्स इण्टर |
| :---: |
| कालेज प्रयागराज | | रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |\right.

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $7586-95$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापंक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
254
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शिवकुमार सिंह <br> पटेल, स0अ० | 01.10 .2010 | राष्ट्रीय इण्टर कालेज <br> शबगा बागपत | मंगला प्रसाद इण्टर <br> कालेज बामपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/3 $3976-35$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/255 स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती विद्यात्तमा <br> कुमारी, स०अ० | 11.6 .2021 | श्री सुशील चन्द्र मीतल <br> इण्टर कालेज गौमत <br> अलीगढ | माधव इण्टर कालेज <br> सरस्वती आश्रम बमैला <br> हण्डिया प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3986-95
को तत्काल कार्यमक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने कार्यभार होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

256 /2024-25 दिनांक<br>स्थानान्तरण आदेश

28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेन्द्र सिंह, <br> स०अ० | 16.9 .2010 | अखण्ड इण्टर कालेज <br> कबरई महोबा | श्री हनुमान इण्टर <br> कालेज अजुहा <br> कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $3996 \rightarrow 4005$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज $257 \quad$ /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजेन्द्र कुमार, <br> स०अ० | 20.12 .2011 | सनातन धर्म इण्टर <br> कालेज हसनपुर मैनपुरी | स्व० डॉ० सत्यनारायण <br> भारती विद्यालय <br> हा०से०स्कूल फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4006 - 15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रंजीत त्रिपाठी, | 07.9 .2011 | श्री लक्ष्मण प्रसाद <br> स०अ० <br> इर्णर कालेज | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्रमीडिएट कालेज <br> परमेश्वरपुर करूआडीह <br> भरीहांव | रिक्त पद <br> के प्रति <br> प्रतापपुर प्रयागराज |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7686-95$
न्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

Al
( साम्येत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज ।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## $575 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अजय कुमार <br> त्रिपाठी, स०अ० | 10.8 .2019 | कृषक इण्टर कालेज <br> कल्लूडीह कुशीनगर | सरदार भगत सिंह <br> इण्टर कालेज सैदाबाद <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7696-7705$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता /अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

$576 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 स्थानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अशोक कुमार, <br> स०अ० | 22.3 .2018 | श्री सिद्वनाथ इण्टर <br> कालेज सिधवल <br> रतनपुरा मऊ | शिवाजी इण्टर कालेज <br> सहसो प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7706-15
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

577<br>/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राहुल मिश्र, |  |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/77/6-25 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
578 स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक 2 b जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित कियाजाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रंजना सिंह <br> पटेल, स०अ० | 25.11 .2021 | श्री बेनी माधव तिवारी <br> इण्टर कालेज आटा <br> जालौन | श्रीमती शकुन्तला <br> देवी यादव कन्या इण्टर <br> कालेज रामनगर मेजा <br> ज्रयागराज | श्रीमती अनुराधाा, स०अ० के <br> स्थानान्तरण से <br> रिक्त होने वाले <br> पद के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 772 6-35 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

## $579 / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अजीत | 03.8 .2017 | गांधी इण्टर कालेज <br> कोरारी लच्छनशाह <br> समेठी | जनसेवा इण्टर कालेज <br> मोहउददीनपुर सराय <br> ममरेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/77 /G-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई . भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रमचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राममिलन, स०अ० | 30.10 .2021 | उ०मा०विद्यालय <br> बरवाला बागपत | बापू इण्टर कालेज <br> रहुु लालगंज <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $774,6-55 / 2024-25$ तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 521

स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुराग श्रीवास्तव, <br> स०अ० | 28.7 .2017 | किसान इण्टर कालेज <br> ताहरपुर अमरोहा | पब्लिक इण्टर कालेज <br> मोतिहा हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7756-65
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत निर्देशित करें। कार्यमक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश *संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती मंजुला, स0अ० | 07.12.2021 | सार्वजनिक इण्टर <br> कालेज चौरंगाहार वाह <br> आगरा | गौरी पाठशाला इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7766 - 75 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक (माख्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 5583 उत्तर पदेश माण्यिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। स्थानान्तरण आदेश आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 5583 उत्तर पदेश माण्यिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। स्थानान्तरण आदेश

 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नदीम वारिस, <br> स०अ० | 09.4 .2012 | धाता इण्टर कालेज | जनता इण्टर कालेज | रिक्त पद |
| धाता फतेहपुर | गाजीपुर फतेहपुर | के प्रति |  |  |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7776-85$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थान को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत निर्देशित करें। कार्यमक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जायं। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

$$
\begin{aligned}
& 584 \text { /2024-25 दिनांक } 28 \text { जून, } 2024 \\
& \text { स्थानान्तरण आदेश }
\end{aligned}
$$

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती विजयनन्दिनी, <br> स०अ० | 02.2 .2021 | सनातन धर्म इण्टर |  |  |
| कालेज हसनपुर मैनपुरी |  |  |  |  | | बी०एस०उच्चतर |
| :---: |
| माध्यमिक विद्यालय |
| मदाफरपुर प्रतापगढ |$\quad$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 778 6- 95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिस्ष निदेशक (नाम्यमिक) ठ्तर प्रदेश प्रयागराज $5 \mathrm{~L} / 2024-25$ दिनांक 28 स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा स्थानान्तरण आदेश

 8 जून, 2024 संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में जाता है:-$\left.\begin{array}{l}\text { जाता है-- } \\ \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \text { नाम/पदनाम } & \text { नियुक्ति तिथि } & \text { कहॉ से } & \text { कहॉ को } & \text { अभ्युक्ति } \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \text { श्रीमती पूजा वर्मा, } & 02.12 .2021 \\ \text { स0अ० }\end{array} \begin{array}{c}\text { श्री नारायण प्रसाद } \\ \text { शाही आदर्श इण्टर } \\ \text { कालेज बरियारपुर } \\ \text { देवरिया }\end{array}\end{array} \begin{array}{c}\text { मन्ना लाल दीक्षित } \\ \text { इण्टर कालेज कोराई } \\ \text { फतेहपुर }\end{array} \begin{array}{c}\text { रिक्त पद } \\ \text { के प्रति }\end{array}\right]$

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक। को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत- डक्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्त डिक्षा निदेश्रा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पर्व संस्था में अन को भी सूचित करें। संबंधित भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है तो यह स्थानान्तरण मनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:- आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा 1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविरा:सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती रेखा पटेल, | 28.7 .2017 | लवकुश इण्टर कालेज <br> सतारपुर हाथरस | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज भीरपुर <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7806-V5
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही. एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 587उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विवेक कुमार मिश्र, <br> स०अ० | 01.12 .2022 | श्री शंकर इण्टर <br> कालेज नानपारा <br> बहराइच | श्री सुभाष चन्द्र इण्टर <br> कालेज छीतूर बलापुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7B:6-25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 50 8

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती संध्या देवी, <br> स०अ० | 19.8 .2017 | जनता कन्या इण्टर <br> कालेज शिवपुरी, <br> खतौली मुजफ्फरनगर | श्री निरंकारी बालिका <br> इण्टर कालेज फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7 b 2 6-35 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा
तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानसार कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना. सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज <br> 569 <br> स्थानान्तरण आदेश 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अमित कुमार, <br> स०अ0 | 17.4 .2021 | श्री बेनी माधौ <br> अग्निहोत्री इण्टर <br> कालेज ठठिया कन्नौज | श्री राम प्रताप इण्टर <br> कालेज सिरसा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

 /2024-25 तददिनांक।पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7836-45
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

```
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
```



उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $590 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024
## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विकास द्विवेदी, <br> स०अ० | 16.9 .2023 | जनता इण्टर कालेज <br> खुरहण्ड बांदा | कालूराम इण्टर कालेज <br> शीतलागंज प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7846-55
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई. भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा
तथा संबंधित 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं. विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 251 <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुनील कुमार, <br> स०अ० | 14.12 .2010 | जनता इं0का० <br> कुण्डेश्वर इटावा | इन्दिरा गांधी इं0का० <br> जाम्हा मऊआइमा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $3946-55$
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज ।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय / <br> उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्व्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अखिलेश कुमार, <br> स०अ० | 08.8 .2012 | आदर्श इण्टर कालेज <br> कससुरूखुर्द <br> संतकबीरनगर | श्री ब्रम्हचारी इण्टर <br> काले तिल्हापुर <br> कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 65/6-25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य• गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।


## \section*{कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।} <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नरेन्द्र सिंह, <br> स०अ० | 10.12 .2021 | वली मौ० सेवक समाज <br> उ०मा०विद्यालय कुमथल <br> सम्भल | धाता इण्टरमीडिएट <br> कालेज धाता फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्यासामान्य(1)तृतीय/ 8346-55 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेपित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बनित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिष्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश खाख्या रामान्म(1) वरीय। <br> /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

## स्यानान्तरण आदेश

जरतार प्रदेश गाध्यांक शिसा अधितियान, 1921 (यथारोशोधन) में विहित व्यदरणा एवं शासनादेश

 प्रधान/पवकता/ अधापक द्वाया प्ररतात आवेपन-पत्र की आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर
 जाता है:-

| गाप/ पदनाप | नियुवित्त तिथि | कहॉ स | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| भीमरी उणा तिवारी, स०अ० | 25.11.2021 | महन्त त्रिव्वेणी पर्यत ह्यण्टरीडिएट कालेज बिसुनपुरा बाजाद देवरिया | विद्यावती दरबारी बालिका हुण्टर कालेज लूकरगंज प्रयागराज | रिक्त पद के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन राख्यासामान्य(1)वृतीय/ 7876.85
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिष निम्नलिखित को हस आशय से प्रेपित है कि सथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्युक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमक्त होने, कार्यभार प्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। रथानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवार्पजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानावार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा रंवधित जिला विद्यालय निरेधक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वहा लगम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संरथा में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह रथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुज्द विहित व्यवरणनानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिध्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रवित।
2- संवधित मंडलीय संयुक्त श्रिभा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेपित है कि वे इस तथ्य की भी पुद्ध कर ले कि उक्त रथानान्तरित प्रथान/प्रयक्ता/अध्यापक का रथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संरतुत है। उक्तानुसार अप्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विधालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट सो कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज रो भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विपय में यह सुनिश्चित करे कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरन्त हो वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संवधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बचित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश
15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सुमन स०अ० | 23.12 .2021 | आर्य कन्या उ०मा०वि० <br> पीलीभीत | सेवा समिति विद्या <br> मंदिर इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7866-75$
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( ग्रम्मचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्यः:सामान्य(1)तृतीय/ 5 व1। 2024-25 दिनांक 20 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्यक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सबीहा | 04.12 .2021 | गांधी राधा बालिका <br> सिद्टर कालेज <br> रविन्द्रपुरी वाराणसी | विद्यावती दरवारी <br> बालिका इण्टर कालेज <br> लूकरगंज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7856-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशत करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शेक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संरथा में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह रथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सुनिश्चित हैं। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि उक्त सथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय//2024-25 दिनांक 28<br>596

जून, 2024
देश में विहित व्यवसथा एवं शासनादेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अर्जुन सिंह, <br> स०अ० | 21.9 .2017 | मोहन इण्टर कालेज <br> लाखनमऊ मैनपुरी | श्री लाल बहादुर शास्त्री <br> उ०मा०विद्यालय बसहरा <br> तरहार प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7906-15 है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि ग्थण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापजिका, अंतिम वतन प्रमाण-पाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पजीकृत शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय सयुक्त पर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व न्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्य निक्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी 2- संबंधित मडलीय सयुक्त शिक्षा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तर्तार्तर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के सदेह की प्रव्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त स्रा स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सस्तुति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री पंकज कुमार, <br> स०अ० | $\mathbf{1 0 . 1 2 . 2 0 2 1}$ | श्री गांधी राष्ट्रीय इण्टर <br> कालेज पुरदिलपुर <br> हाथरस | जवाहर लाल नहरू <br> महाविद्यालय चौबारा <br> न्यायीपुर प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $7896-7905$ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रम्नचित)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

## 594

/2024-25 दिनांक $2 B$
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियन, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुनति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तन्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदह्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉँ से | कहॉँ को | अन्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती प्रतिभा. स०अ० | 25.11 .2021 | डी०ए०वी० इण्टर <br> कालेज किशनपुर बराल <br> बागपत | बी0डी०दूबे इण्टर <br> कालेज पहाडपुर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7886 -95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यनुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ब कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी नी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



## 5a> <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम. 1921 (यथासंशोधन) में विहित ब्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संश्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहों से | कहों को | अन्पुक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री काशी नारायण <br> मिश्र. प्रवक्ता | 29.9 .2007 | चित्रकूट इण्टर कालेज <br> कर्वी चित्रकूट | लोकमान्य तिलक इण्टर <br> कालेज प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक (मा०)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7916-25
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रध्रान/प़क्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सुचित करें। संबंधित प्रधान/ प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश ख्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी-
1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेड की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है.-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विनोद कुमार <br> सरोज. स०अ० | 01.9 .2012 | दयानन्द इण्टर कालेज <br> इटैली मऊ | मोती लाल नेहरू इण्टर <br> कालेज जमुनीपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8336-45 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०र्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 5व\& /2024-25 दिनांक 2 \& जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवसथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अभिनव स०अ० | 06.12 .2021 | बापू इण्टरमीडिएट <br> कालेज रेहुआ लालगंज <br> प्रतापगढ | सीताराम सिंह इण्टर <br> कालेज बायूगंज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7926-35 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। रथानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेपित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का सथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विपय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तूतीय

637<br>/2024-25 दिनांक28<br>सथानान्तरण आदेश

जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अलिनियम, 1921 (यथासंशोयन) में विहित व्यवरया एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माव्यमिक विचालय/ इएटर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रबान/ पदकता/अस्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आयार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्भुस स्तम्भ- 4 में अंकित वियालय में तल्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहों से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कीमती निगहत बेगम, <br> स०अ० | 29.12 .2021 | स्वामी कृष्णनद इण्टर <br> कालेज जलाली <br> अलीगढ | एस०ए०वी०इण्टर <br> कालेज सैनी) सिराथू <br> कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या सामान्य(1)तृतीय/ $8326-35 \quad$ 2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार गहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवस्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें
तथा संखित प्रधान/ प्रवक्ता / जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित के विरुद्ध विहित प्रकाश में आता है, तो यह जाही की जायी- आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा 1- वैदक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर ले कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करे।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/<br>\section*{599}<br>/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश ख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित सिज्यय पर प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से जाता है:-

| जाता है:- |
| :--- |
| नाम/पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉ से कहॉ को 4 |
| 1 |

## अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7936-45$ से स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रषित है कि ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्य को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशा-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक विदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुम तो तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा भी तथ्य गोपन से सिर्दित के विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> /2024-25 दिनांक

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

## 636

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्या प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी क्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहों को | अभ्युदिता |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री पवन कुमार <br> स०अ० | 03.12 .2021 | बी०ए०वी० हायर <br> सेकेण्डी स्कूल अटौरा <br> नंगला फिरोजा <br> मोहनपुर गाजियाबाद | सर्वोदय शिक्षा सदन <br> इण्टर कालेज भीरपुर <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित हैर्यार ग्रहण करने हेतु निदेशित करें। कर्यमकत को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्यानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलस्य कराना सुलिश्चित करे तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सबधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश खत निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्रमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनु को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथय की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निदेंशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्यानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अव्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियो सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिका निदेश्रक(मा०-9)
रिखा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

 $\begin{array}{ll}\text { आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ } 600 & 12024-25 \text { दिनांक } 28 \text { जून, } 2024 \\ \text { उत्तरानान्तरण आदेश }\end{array}$उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यनिक विद्यालय/ इग्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/ प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहों को | अन्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती प्रिंयका यादव. <br> स०अ० | 01.12 .2021 | जनता इं०का० <br> परसौना एटा | लाल बहाटुर शास्त्री <br> इं०का० चायल <br> कोशान्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

1024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 7946 - 55 कि आश्यानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अव्यापक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित कर। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अव्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अव्यापक को वही लाभ अनुमन्य हॉगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यनिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा स्त्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 635 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आलोक शुक्ल. <br> स०अ० | 06.12 .2003 | ग्रामौद्योगिक इण्टर <br> कालेज अशोक नगर <br> भरसंवा फतेहपुर | पं०दयाशंकर इण्टर <br> कालेज भैसौली <br> फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8306 -15 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/ प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचित) उप शिक्षा निदेशक(मा०-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरशा एवं शासनादेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम. 1921 (यथासशोधन) संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्टर कालेज के निम्नलिखित संस्या क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर का के प्रति उन्हे निजी व्यय पर प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद एतदद्वारा स्थानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्था


पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8296-8305 /2024-25 तददिनांक। अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रह तो तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त सथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। } \\
& \text { 5- सम्बच्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक। } \\
& 6-\text { गार्ड पत्रावली। }
\end{aligned}
$$


( रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

## 601

/2024-25 दिनांक 28
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मान सिंह. स०अ० | 20.8 .2010 | महात्मा गांधी स्मारक <br> इण्टर कालेज सौख. <br> मथुरा | चौ० रामरूप सिंह <br> धनराज इण्टर कालेज <br> धाता फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7956-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माँ्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती अमिता, स०अ० | 02.12 .2021 | श्री फकीर चन्द्र आर्य <br> कन्या इण्टर कालेज <br> बढापुर बिजनौर | केसर विद्यापीठ इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0)<br>उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8276-35
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathbf{1}$ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| डॉ० निरंजन कुमार <br> सिंह, प्रधानाचार्य | 31.8 .2019 | श्री रामगोपाल त्रिपाठी <br> इण्टर कालेज <br> विजयीपुर फतेहपुर | लाला मनमोहन दास <br> इण्टर कालेज झूंसी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8286-9S /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया

| जाता है:- |
| :--- |
| नाम/पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉं से कहॉं को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4  |
| श्री राजेश कुमार <br> त्रिपाठी,प्रवक्ता |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य( 1 तृतीय/ 7966 -75 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थनुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 517 <br> /2024-25 दिनांक 28

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति न्हानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थान्तरित किया
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री फूलचन्द्र. स0अ० | 29.11 .2021 | जनता इण्टर कालेज <br> कांटा चन्दौली | सरदार बल्लभ भाई <br> पटेल इं०का० जलालपुर <br> कस्बा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6606 - 15 क्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्याल को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना गेत्र्पमाण-पत्र एवं सम्बध्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अतिम पोंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधा वं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित
तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संवंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । <br> 516 <br> /2024-25 दिनांक 2B <br> जून, 2024

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अव्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:- $\quad$ कहॉ को अभ्युक्ति $^{4}$

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नागेन्द्र पाल, <br> स०अ० | 18.11 .2010 | पं० बेनी सिंह भारत <br> इ0का० बारी भीतरगांव <br> कानपुरनगर | किसान इण्टरमीडिएट <br> कालेज सरपतिपुर <br> सरायइनायत प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6596 - 6605 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रपितर्र्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करन की सूचना नेद प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अव्यापक की सवापंजिका, अतिम पं पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचाय कीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलन्योंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई प्रथा तथ्यवक्ता / अोप्यापक को वही लाभ अाता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेक क्ता/अव्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रा कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

[^0](रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ <br> 515 <br> / 2024-25 दिनांक 28 जून. 2024

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है--

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राकश कुमार सिंह. <br> प्रवक्ता | 31.7 .2012 | विक्ट्री इण्टर कालेज <br> दोहरीघाट. मऊ | श्री रणजीत पंडित <br> इण्टर कालेज लोहगरा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6586-95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


> उप शिक्षा निदेशक(मा0- 3 )
> शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
> प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृत्तीय/ $5 / 4 \quad 12024$ दिनांक 28 जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक जिका स्थानान्तरण आदेश
कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $5 / 4$
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा स्थानान्तरण आदेश संख्या-840/15-05-2024-1600 शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त (169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदाध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती कचन | 23.11 .2021 | बुन्देलखण्ड इण्टर <br> कालेज माधोगढ <br> जालौन | श्री राधारमण महिला <br> इण्टर कालेज नैनी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6576- 85
उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज 

513
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश
संख्या- $840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018$ दिनांक 12 जन
क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत अव्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकितन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती वन्दना देवी <br> प्रवक्ता | 18.8 .2021 | पं0क्ष चन्द्र शर्मा <br> कन्या इण्टर कालेज <br> खण्डेराव गेड झांसी | बापू इण्टर कालेज <br> रेहुआ लालगंज <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

## अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
को तत्काल कार्यमुक्त कर को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने. कार्यभार ग्रहण करने की विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका अंतिम वेतन प्रमाण को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीक्त डाक एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयक्त डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पोर्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में 1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर (1) 18 पार्क रोड, लखनऊ को 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचचत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> /2024-25 दिनांक <br> 28

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## 512

जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अजय कुमार राय. <br> प्रवक्ता | 19.5 .2022 | श्री लाल बहादुर <br> शास्त्री इण्टर कालेज <br> बबीना झांसी | श्री विद्या मंदिर इण्टर <br> कालेज गांजा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6556-65 12024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि सथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शेक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माख्यमिक) उत्तर प्रदेग, प्याराजा <br> आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ <br> 511 <br> /2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश
28 जून. 2024 संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/धिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित अकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रारेश कुमार <br> स०अ० | 16.12 .2021 | श्री के०एल०शास्त्री <br> इण्टर कालेज मुनि <br> बुलन्दशहर | कृष इण्टर कालेज <br> कसौटा बसहरा <br> उपरहार प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
$6546-55$
उत्तर प्रदेश।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस 654 2024-25 तददिनांक।
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को करने हतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । आदेश संख्या.सामान्य(1)तृतीय / <br> 510 /2024-25 दिनांक <br> स्थानान्तरण आदेश <br> जून. 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री नवीन कुमार सिंह, <br> प्रवक्ता | 14.10 .2020 | श्री गुलजारी लाल <br> मनीराम इण्टर कालेज <br> खैरगढ फिरोजाबाद | श्री महाबल सिंह इण्टर <br> कालेज लेहडी मेजा <br> रोड प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

## पृष्ठांकन संख्या सामान्य(1)तृतीय/ $6536-45$ /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रमचेत )
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।
कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
आदेश संख्या सामान्य(1)तृतीय/
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश
संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के
क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था
प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती सुनीता. स०अ० | 01.12 .2021 | गांधी विद्यालय इण्टर <br> कालेज खेकडा बागपत | पब्लिक इण्टर कालज <br> मनौरी प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:समान्य(1)तृतीय/ $6616-2024-25$ तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

519 स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून. 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आशीष कुमार <br> सिंह. स०अ० | 02.3 .2022 | विद्या निकेतन इण्टर <br> कालेज सिरसवा <br> हरचन्द्र मुरादाबाद | अवधेश इण्टरमीडिएट <br> कालेज धारूपुर <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6626 -35 2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०.
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
520
/2024-25 दिनांक 28
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संसथा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नेहा नाज, <br> स०अ० | 01.12 .2021 | चिरंजीलाल बालिका <br> इण्टर कालेज अलीगढ | राधारमण इण्टर कालेज <br> दारागंज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6636 - 45 है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्याय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
521
/2024-25 दिनांक 28
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवर्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति र्तानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉँ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुरेन्द्र कुमार <br> प्रवक्ता | 21.8 .2021 | जवाहर लाल नेहरू <br> समारक इण्टर कालेज <br> कौथा उन्नाव | श्री रणजीत पण्डित <br> इण्टर कालेज नैनी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $8646-55$ स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में नाये को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचनंम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वो पंजीकत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीट्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्तर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंग, जो सूनान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है,
तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार काध्यविक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेश सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्रिति में निदेशालय सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जे प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराय जाने के न्रान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।

( रागचत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

$522 / 2024-25$ दिनांक 2b
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| जाता है- |
| :--- |
| नाम / पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉं से कहॉं को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4 5 |
| श्री शैलेश कुमार, <br> प्रवक्ता |
| 25.11 .2021 | | तिलकधारी सिंह इण्टर |
| :---: |
| कालेज जौनपुर | | एस०आर०पी०नेशनल |
| :---: |
| इण्टर कालेज हंडिया |
| प्रयागराज |$\quad$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6656-65 कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है क्रार ग्रहण हरने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अतिम वेतन प्रमाण-पत्र द्रारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को संयृ्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6-
गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

$523 \quad / 2024-25$ दिनांक 28<br>जून, 2024 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियग, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विधालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा सथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अमित कुमार सिंह, <br> स०अ० | 05.11 .2018 | इण्टर कालेज रानपुर <br> जौनपुर | सरदार बल्लभ भाई <br> पटेल इण्टर कालेज <br> जलालपुर कस्या <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6666 - 75 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर सथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शेक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य भी सचित कुरिं। तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संर्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समडा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्ति
सूचनार्थ प्रेषित
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी
2पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का सथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही सथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय

524

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathbf{1}$ | $\mathbf{2}$ | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनुराग यादव. | $06.12 .202 \star$ | श्री गेंदा किसान इण्टर <br> सालेज नयावांस <br> लाखनू हाथरस | शिव जियावन इण्टर <br> कालेज लेडियारी <br> प्रयागराजा | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6676-85 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

## सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपकें द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।<br>आदेश संख्यासामान्य(1)तातीय/<br>525 /2024-25 तिणांक 28<br>जून, 2024<br>स्यानात्तरण आदेश

 संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जुण, 2024 प्वारा प्रतान की गरी अनुणति के

 उनके नाभ के सम्भुख संभन-4 मे उंकित तियालय में तक्काल प्रभाव हो एतनक्वाश रणानान्तरित किया जाता है-


## सुरेन्ध कुगार तिवारी अपर शिखा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)ततीय/, 6686-95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्यानान्तरित प्रथान/प्रवकता/ आव्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार गहण करेे हेतु निर्देशित करे। कार्यगुक्त होने, कार्यभार घहण करने की सूचना निदेशालय को पुर्त दी जाय। एणानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्थित सेवा/शैकिक अगिलेख स्थानान्तरित विच्यालय के प्रतथक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत उाक द्वारा उपलत्य कराना सुलिश्चित करें तथा संबंधित जिला वियालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरसत समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्द विहित व्यवस्थानुसार कार्शवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिषिर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्यानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्य संबंणित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्यानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रतन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> /2024-25 दिनांक 28 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

526

जून. 2024 ख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हेनान्तरित व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया

| उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 मे अकित विद्यालय मे |
| :--- |
| जाता है- |
| नाम/पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉं से कहॉं को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4 5 |
| श्रीमती शाभना तिवारी. <br> प्रवक्ता |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $6696-6705$ /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि र्थण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रम डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलोंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रका लाभ अनुता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम / पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहॉं से \& कहॉ को \& अभ्युक्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4\end{array}\right]\)| 5 |
| :---: |
| श्रीमती शैल कुमारी. <br> स०अ० |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 6706-15
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती अनुराधा <br> भारतीया, स०अ० | 21.4 .2022 | जनता इण्टर कालेज <br> माडापार गोरखपुर | शिव इण्टर कालेज <br> कटहरा हंडिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा0)<br>उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $7556-65$
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

6-

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य। गार्ड पत्रावली।
 उप शिक्षा निदेशक(मा०-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> /2024-25 दिनांक 28 

आदेश संख्या सामाजय(1)ततीय/<br>562<br>जून. 2024<br>\section*{स्थानान्तरण आदेश}

उत्तर पदेश माप्यमिक शिका अलिनितम, 1921 (जधाराशाषन) में विहित ब्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जुन, 2024 द्वारा प्रदान की गसी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्रात उत्यतर माख्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रसान/पवकता/ अस्यापक ह्वारा प्रस्तुत आवेदन-प्पत्र के आणार पर रिका पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्युख साम्भ- 4 मे अंकित विच्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिशि | कहों से | कहोँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| की शैलेन्द्र कुमार. सо⿱० | 21.7.2017 | जिला परिषद ह्च्टर कालेज उमरी जालौन | जरिबन्धन ह्टर कालेज बैजनाथ गोरिगो प्रयागराज | रिक्त पद के प्रति |

## सुऐेन्द कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या सामान्य(1)त्तीय/ $7566-75$
पतीलिपि निम्नलिखित को सस आशत से पेषित है कि स्यानान्तरित प्रथान तदानांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्यानान्तरित विद्यालय में कार्यभार गहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने कार्यमार गहण करने की सूपना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रहान / प्रवक्ता / अर्यापक की सेवापजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बनित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित वियालय के प्रक्थक/प्रथानाधार्य को पंजीक्त डाक द्वारा उपलस्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबचित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूच्चित करें। संबंधित प्रथान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबधित के बिरुद्ध विहित ब्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर ले कि उक्त स्थानान्तरित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रोतर विधिक कार्यवाही होतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला वियालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्थित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( राम्चेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
स्थानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक $2 \Omega$ जून, 2024
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संख्या-840/15-05-2024-1 शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त (169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के ाधार पर रिक्त पद के प्रति निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में नत्काल प्रभाव से एव्रति उन्हे निजी व्यय पर जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती नीलिमा | 20.11 .2021 | जिला पंचायत इण्टर <br> कोज मुरादगंज औरेया | जगदीश नारायण इण्टर <br> कालेज ढिगवस <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश। 

/2024-25 तददिनांक। को तत्काल कार्यमक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत निर्देशित कर्तें। अध्यापक होने कार्यभार ग्रहण करने की सन निदेशाय प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका अंतिम नेतन स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम / पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहॉं से \& कहॉं को \& अभ्युक्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4\end{array}\right]\)| 5 |
| :---: |
| श्रीमती नेहा सिंह, <br> स०अ० |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7376-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संख्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

```
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
```


( रामचेत ) प्रयागराज।

## कार्यालय शिष्षा निदेशक(गाण्यािक) डत्तर प्रदेश, प्रयागराण । आतेश रोंखांखाणान्ण(1)वृतीय/ <br> रण्याणन्तरण क्यापेय





 जाता है:-


करी kो
 कालेग चरोफनाए वरकी


सीव्दया प्रयागरण






 प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाग अनामन्य होग, जी पुत्तरण आदिथ स्वत निरसत खमझ्रा आएगा भी तथ्य गोषन किया जाना प्रकाश नो आता है, तो यह रुणार्या:-
 सूचनार्थ प्रेकित।
2- राबधित गंडलीय संयुक्त श्शिजा निदेशक को हूर निद्रा के साथ प्रवित है कि के हैस तथ्य की की पुष्टि कर लें कि उवत रथानान्तरित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक का रथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वरा संरतृत है। उक्तानुरार अप्रेतर विधिक कार्यवाहो हेत, अपने रतर सो भी सर्व संबधित को निर्दीशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबधित जिला विद्यालय निरीभक को हरा निद्रश के साध प्रेपित कि उक्त रण्यानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबराइड रो कराये जाने साथ हो किसी थी प्रकाए के संदेह की रुण्यति मे निदेशालय प्रयागराज रो गतिक रात्यापन कराये जाने के उपरान्त सबधित म्रथान / प्रवक्ता/अव्यापक के विक्य मे यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संखतुति के आधार पर हो रण्यानान्तरण निर्गत है तथा प्रविक्यिया सही एवं विधिक है, तदोपरान्त हो वेतन गुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

## 1- संबधित प्रयन्धक/प्रथानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6-

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
शिषा निदेशालय, उоप्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम त्तरण आदेश
संख्या-840/15-05-2024-1 क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्राप्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉँ से | कहॉँ को | अम्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री उत्तम कुमार, <br> स०अ० | 18.11 .2021 | जनता सनातन धर्म <br> इण्टर कालेज कुठौच <br> जालौन | राजा रधुराज सिंह <br> इण्टर कालेज सैवतमऊ <br> फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7396-7405
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेपित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुप्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7406-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्दशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंसम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त रिक्षा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जा स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो
तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यमि) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने से उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त ती सानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या:सामान्य()तृतीय/ 

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया कहॉँ को अभ्युक्ति
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती मंजुला देवी. <br> स०अ० | 12.9 .2022 | आदर्श बजरंग इण्टर <br> कालेज बांदा | जनहित इण्टर कालेज <br> खागा फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7416-25 कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्था करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय मिं निशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना वेवन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापजिका, प्रधारार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

| $4-$ | संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। |
| :--- | :--- |
| $5-$ | सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक। |
| $6-$ | गार्ड पत्रावली। |

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । <br> आदेश संख्या:सामान्य()तृतीय/ 548 <br> जून. 2024 

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालज की न्डे निजी व्यय पर प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद एतदद्वारा स्थानान्तरित किया उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थान्ता
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहों से | कहों को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सुनील कुमार, <br> स०अ० | 07.10 .2020 | मिश्री लाल इण्टर <br> कालेज मवैया मीरजापुर | श्री रणजीत पंडित <br> इण्टर कालेज नैनी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तीतीय/742f-35 /2024-25 तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निदेशेशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की त्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत )

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री प्रशान्त पाण्डेय, <br> स०अ० | 23.11 .2021 | नगर पालिका इण्टर <br> कालेज अतरोली <br> अलीगढ | मदन मोहन मालवीय <br> इण्टर कालेज करछना <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 743645
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 550 <br> /2024-25 दिनांक 28 <br> स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा सथानान्तरित किया

| जाता है:- |
| :--- |
| नाम / पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉं से कहॉ को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4 5 |
| श्री भूपेश सिंह <br> कुशवाहा, स०अ० |
| 25.11 .2021 | | सर्वोदय किसान इण्टर |
| :---: |
| कालेज शिकोई |
| बुलन्दशहर |$\quad$| श्री लाल बहादुर शास्त्री |
| :---: |
| इण्टर कालेज चायल |
| कौशाम्बी |$\quad$| रिक्त पद |
| :---: |
| के प्रति |

 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एव सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेश/प्तवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थाना विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।/2024-25 तददिनांक।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुनति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अन्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रतन सिंह, स०अ० | 17.11 .2021 | गिरधारी सिंह जगतपत <br> सिंह सिंगरौर इण्टर <br> कालेज मकनपुर <br> प्रयागराज | शिव इण्टर कालेज <br> कटहरा हण्डिया <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

> सुरेन्द्र कुमार तिवारी
> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।
> $/ 2024-25$ तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
$7456-65$
को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / हैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित
प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में अनु है तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा माई तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड. लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉं सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०.
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री संदीप कुमार | 17.1 .2019 | श्री राम नारायण <br> उ०मा०वि० फूलपुर <br> अजमेरी बादशापुर <br> अम्बेडकरनगर | इलाहाबाद इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7466-75

उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती शकुन्तला | 20.8 .2020 | श्री श्याम बहादुर आर्य <br> कन्या इण्टर कालेज <br> बस्ती | डी०पी०गल्स्स इण्टर <br> कालेज प्रवागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7476-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्भुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रिया गुप्ता. स०अ० | 23.12 .2021 | श्री केदारनाथ <br> सेकसरिया आर्य कन्या <br> इण्टर कालेज आगरा | डॉ0 के0पी०जायसवाल <br> इण्टर कालेज <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य() तृतीय/7486-95 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत)

## उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)

शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माख्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्या सामान्य(1)त्रतीय/





 जाता है-


# सुरेन्म कुगार तिवारी अपर शिबा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश। 

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1) प्तीय/ $7496-7505$
/2024-25 तददिगांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इ्स आशय से प्रेषित है कि स्यानान्तरित प्रथान/प्रवकता/ अव्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार राहण करने हते निर्देशित करे। कर्यमुक्त होने, कार्रभार आहण करने की सुषणा निदेशालय को तुरंत दी जाय। रणानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अव्यापक की सेवापंजिका, अंतिग तेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बनित सेवा/ शैक्षिक अगिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रकन्धक/प्रणानाचार्य को पंजीक्त उक द्वारा उपलव्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबंचित जिला विद्यालय नितीक्क एवं मण्डलीय संसुका शिष्षा निदेशक को भी सूचित करे। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अव्यापक को वही लाभ अनुगन्य होंगे. जो पूर्ড संख्या में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश मे आता है, तो यह र्थानान्तरण आदेश स्वतः निररत समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्वार्यानुसाए कार्ययाही की जायेगी:-
1- वै्यक्तिक सहायक, शिषा निदेशक(माव्यमिक) शिविए कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की थी पुष्टि कर लें कि उक्त स्यानान्तरित प्रथान/प्रवक्ता/अव्यापक का रथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार आयोतर विणिक कार्यवाही हेतु अपने रतर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्कक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रथान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्यानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रथानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्यासामान्य() तृतीय/ <br> स्थानान्तरण आदेश 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संर्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री कृष्ण कुमार, <br> स०अ० | 04.12 .2021 | श्री बल्देव बिहारी <br> उ०मा०विद्यालय नगला <br> खंजी कासगंज | श्री बृज मंगल सिंह <br> इण्टर कालेज रामपुर <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) 

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7506-15 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर सथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। सथानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संसथा में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6गार्ड पत्रावली।

( रामचित)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री शशि प्रकाश <br> तिवारी. स०अ० | 01.12 .2007 | कृषक औद्योगिक पाल <br> इण्टर कालेज हरिहरपुर <br> संतकबीरनगर | श्री रणजीत पण्डित <br> इण्टर कालेज नैनी <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/75/6-2s/2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी संस्तुत हर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /
जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉँ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री अनिल कुमार <br> पाल. स०अ० | 12.7 .2017 | डिघरूवा इण्टर कालेज <br> डिघरूवा फतेहपुर | शिवाजी इण्टर कालेज <br> सहसो प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
7526-35

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

## अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगीः-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा सथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉं से | कहों को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती केकता | 08.1 .2022 | जनता इण्टर कालेज <br> आतापुर ओहनी <br> भारतीय. स०अ० | जनसेवा इण्टर कालीज <br> मुहीउददीनपुर <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7536-45 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह
सुनिश्चित करें सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं
विधिक है तदो 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> 560 <br> / 2024-25 दिनांक $2 \Omega$ जून, 2024

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया

| जाता है:- |
| :--- |
| नाम / पदनाम नियुक्ति तिथि कहॉं से कहॉ को अभ्युक्ति <br> 1 2 3 4 5 <br> श्री रामेश्वर सिंह,     <br> स०अ०     |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7546-55
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड. लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्यासागान्य()तृतीय/ 528 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 

## सथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माव्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संख्या प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख र्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सुश्री अर्चना देवी. | 24.12 .2021 | मनियर इण्टर कालेज <br> सहियर बलिया | राम स्वरूप भारती <br> इण्टरमीडिएट कालेज <br> सुदरगंज प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7226-35
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शेक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संख्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह सथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवरथानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेपित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही सथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 529 स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा सथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री सतीश कुमार, <br> स०अ० | 03.12 .2021 | कमर टैक्नीकल इण्टर <br> कालेज जेवर <br> गौतमबुद्वनगर | कौशाम्बी उ०मा० <br> विद्यालय कोठी कनेली <br> कौशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

निगर

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7236-7245 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना 3- संबंधित
संबधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ की प्रकार के उक्त स्थानान्तरण आदेश का
सत्यापन विभागीय वें निदेशालय से प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।


4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचाय।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्यासामान्य(1)तृतीय/ 530 /2024-25 निनांक 28 

जून 2024

सथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियग, 1021 (याधारंशोधन) में तिहित व्यवर्ना एव शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(160)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 दारा प्रदान की गयी अनुपति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यािक विद्यालय/ इएटर कालेज के निम्नलिखित संर्ा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्याय पए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रगाव से एतनद्वारा स्थानान्तरित किभा जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहों से | कहों को | अयुकित |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| श्री बिन्दा प्रसाद, | 27.03 .2017 |  |  |  |
| प्रवक्ता-इतिहास |  |  |  |  |

(सुरेन्द कुगार तिवाशीา
अपर शिसा निदेशक(गा०)
उत्तर प्रदेश।
/2024-25 तततिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि रधानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ आह्याएक को तत्काल कार्यमुक्त कर सथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्गानुत्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। र्नानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं साव्वनित रोता / गैनिकाक अगिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्य कराना रुनिशिरात करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को गी राहित करें। रांबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व रांखा में अनुपन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह रथानान्तरण आदेश ख्वतः निररत रगाइा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 गार्क रोड, लखणक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेपित है कि ते इसर तथ्य की गी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/आध्यापक का रथानान्तरण आवेतन-पत्र उनके वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने रत्तर रो भी रार्व रांबंधित को नित्वेशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के राथ प्रेषित कि उक्त रeानान्तरण आतेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने राथ ही किरी भी प्रकार के संदेह की रिeति में निदेशालय
प्रयागराज

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक
6- गार्ड पत्रावली।

(रागचेत ) उप शिक्षा निदेशक(गा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उои०, प्रयागरणज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया कहॉ को $\quad$ अभ्युक्ति
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती संगीता सरोज, <br> स०अ० | 15.12 .2021 | कुसुम कुमारी <br> उ०मा०वि० बरेली | महावीर उ०मा० <br> विद्यालय उमरी <br> कोटिला छेउंगा <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7255-65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापजिका. ऊार्य को पंजीकत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य एवं संयक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एव मण्डल मोंगे जो पर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य हो तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
/2024-25 तददिनांक।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या सामान्य(1)तृतीय / <br> उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 (यथासं

उत्तर प्रदश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित ग्यस्था एत्र शाखनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनाक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान को गयी शनुमति क क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालज क निम्नकिणिल वर्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्ह निरीजा गयर्य पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रमाव से एतद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहों से | कहो को | अ्रवुुद्तित |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री राजकुमार. स०अ० | 27.7 .2017 | जनता इण्टर कालेज <br> असेनी औरेया | महेश्वरी प्रसाद इण्ट? <br> कालेज आलमचन्त <br> कोशाम्बी | रिक्त पद <br> के प्रति |

# सुरेन्द्र कुपार तिवारी अपर शिख्बा निदेशक(मा०) 

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्यासामान्य(1)तृतीय/7266-75
/2024-25 तददिनाक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रथान/प्रदक्ता/ अग्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्दशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। चथानान्तरित प्रबान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बम्यित सेदा/गेशिक्रि र्रमिलेग स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबम्धक/प्रथानाचार्य को पंजीक्त डाक द्वारा उपलब्न कराना सुनिक्जित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को की सुच्चित रुरे। संबधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य था। यदि प्रकरण में कोदे भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह सथानान्तरण आदश रदत निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माव्यमिक) शिविर कायांलय, 18 पाई रोड, लग्डनछ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे इस तथ्य की की पुष्टि कर ले कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का सथानान्तरण आवेदन-पत्र उनक द्वारा सस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हैतु अपने स्तर से की सर्व संबधित को निर्दिशित करना सुनिश्चित करे।
3- संबंित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निदेश के साथ प्रथित कि उस्त सथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी मी प्रकार के संदह की स्थिति में निदगालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रदक्ता/अण्यापक के दिपय में यह सुनिश्चित करे कि आपक द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत हे तथा प्रविध्टिया सही एव
विधिक है. तदापरान्त ही वेतन भाएतान 4- संबंधित प्रबग्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बच्धित प्रथान / प्रवक्ता/अव्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक (410-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०ू०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 533 <br> स्थानान्तरण आदेश 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासशोधन) में विहित व्यवरथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती वत्सला <br> जायसवाल, प्रवक्ता | 22.12 .2021 | श्री केदारनाथ <br> सेकसरिया आर्य कन्या <br> इण्टर कालेज आगरा | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज सभागंज <br> पूरबनारा प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।
पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7276-85 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ S34 /2024-25 दिनांक 25 जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासांशोधन) में विहित व्यवरणा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यभिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-
\(\left.\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline नाम/पदनाम \& नियुक्ति तिथि \& कहों से \& कहों को \& अभ्युव्ति <br>

\hline 1 \& 2 \& 3 \& 4\end{array}\right] $$
\begin{array}{c}5\end{array}
$$\right]\)| श्री मुकेश कुमार |
| :---: |
| तिवारी, स०अ० |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7286-95
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यभुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह सथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समडा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही रथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(रममचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 535 /2024-25 दिनांक $2 \mathcal{S}$ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवरणा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री इन्द्रसेन कुमार, | 01.8 .2017 | हरद्वारी लाल जनहित <br> उ०मा० विद्यालय <br> नीलौनी मिर्जापुर <br> गौतमबुद्वनगर | अनन्त प्रसाद सिंह <br> इण्टर कालेज भदोही <br> प्रतापगढ़ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

## उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7296-730s को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्यानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/ शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही सथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०्र०,
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)वृतीय /

$$
536
$$

रथानान्तरण आदेश
/2024-25 दिनांक $2 \delta$ जून, 2024
उत्तर प्रदेश गाध्यगिक श्शिभा अधिनियम, 1021 (यधारांशोधन) मे विहित व्यवरणा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर गाप्यगिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान/प्रवक्ता / अथ्यापक द्वारा प्ररतुत आवेदन-पत्र को आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाग के सम्गुख रतग्ग-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहों को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री रमेश कुमार सिंह, <br> स०अ० | 01.2 .2021 | जय किसान इण्टर <br> कालेज सकतपर सनाई <br> सिद्वार्थनगर | इश्वर शरण इण्टर <br> कालेज प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिष्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/7306-15
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिषि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेपित है कि रथानान्तरित प्रधान/प्रयक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्दशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। रणानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बध्धित सेवा / रेक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संरथा में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह रथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवरथानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेपित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेपित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का सथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने रत्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संवंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही रथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री विमल कुमार, | 06.8 .2013 |  |  |  |
| स०अ० |  |  |  |  |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।
पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)ततीय/7316-25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख सथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संवंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

$$
\begin{aligned}
& \text { उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) } \\
& \text { शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, } \\
& \text { प्रयागराज। }
\end{aligned}
$$

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संखकानान्प। ह्तीज

$$
538 \text { 2024-25 दिनांक } 28
$$

जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर उदेश मात्यमिक शिक्षा अपिनियम, 1921 (स्यासशोषन) में विहित सतखय्या एवं शासनादेश संख्य-840/15-05-2024-1000(100)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 ज्ञारा प्रदान को गयी अनुमति के

 उनके नान है सम्नुख तन््भ-द में जकित विखालय में तत्काल प्रभाब से एतदद्ञारा स्यानातरित किया जाता है-


## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्डांकन संख्या सामान्य( )त्तीय/, $7326-35$
2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिधि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्यानान्तरित प्रधान/प्रवकता/ आथ्यापक को तत्काल कार्यनुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार य्रहण करने हेतु निदेशित करें। कार्यमुक्त होने कार्यभार जडण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्यानान्तरित प्रजान/ प्रबत्ता/ अड्यापक की सेवापंजिका, अतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बधित सेवा/शैथिक अभिलेख स्थानान्तरित विधालय के प्रबनक/प्रधानाचार्य को पंजीक्त डाक द्वारा उपलब्य कराना सुलिश्यित करें तथा संबचित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबधित प्रधान/प्रउज्ता/ धध्यापक को वडी लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो घह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी-
1- वैयक्तिक सडायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड. लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर ले कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उन्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्यानान्तरण आदेश का सत्यापन विनागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

```
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।
```


(राभचेत) उप रिक्षा निदेशक(मा0-3) रिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। <br> आदेश संख्या सामान्य(1)तृतीय/ <br> 539 <br> /2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-
जाता ह:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉँ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री बंशीधर पाल, <br> स०अ० | 28.7 .2017 | श्री परमहंस इण्टर <br> कालेज देवगांव कोंच <br> जालौन | शिवाजी इण्टर कालेज <br> पटेल नगर खेरहट खुर्द <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय / $7336-45$
प्रतिलिपि निन्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बनित सेवा / रैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रवन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
रिक्षा निदेशालय, उ०्र०, प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ $719 \quad / 2024-25$ दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री ओम प्रकाश सिंह, <br> स०अ० | 01.7 .2022 | पब्लिक इण्टर कालेज <br> चौकिया सुलतानपुर | पी0बी0इण्टर कालेज <br> प्रतापगढ सिटी <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

 उत्तर प्रदेश।पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 914G-55
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(12024-25 दिनांक 28 जून, 2024 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 720

स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथानन 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, इण्टर कालेज के निम्नलिखित संख्था क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम
जाता है:-
जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री आशीष कुमार <br> श्रीवास्तव, स0अ० | 01.7 .2022 | पब्लिक इण्टर कालेज <br> चौकिया सुलतानपुर | पी0बी०इण्टर कालेज <br> प्रतापगढ सिटी <br> प्रतापगढ | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 915G-65 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त सथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।<br>आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री मोहसिन जमा खा, <br> स०अ० | 15.5 .2017 | सैययद अहमद खॉ <br> जनता इण्टरमीडिएट <br> कालेज बहदुरी बाजार <br> महराजगंज | श्री राम प्रताप इण्टर <br> कालेज सिरसा <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी<br>अपर शिक्षा निदेशक(मा०)<br>उत्तर प्रदेश।<br>/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 916G-75
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है. तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनक को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 722 /2021 26 विणांक 28 जुन, 2024 रथानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माख्यमिक शिक्षा अविनियम, 1921 (शणाराशोषन) में विहित व्यवरणा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 विनांक 12 जून, 2024 दारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर गाख्यािक विचालय/ इए्टर कलेण को निम्नलिखित संरणा प्रधान / प्रवक्ता / अव्यापक द्वारा प्रत्तुत आवेदल-पत्र के आधार पर रिवत पद के प्रति उन्हे निणी व्यय पर उनके नाम के सम्गुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तक्काल प्रभाव रो एतदद्वारा सथानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम | नियुवित तिथि | कहॉं से | कहॉं को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| क्रीमती वन्दना सिंह, <br> स03० | 06.8 .2019 | शी रामचन्द अयवाल <br> गर्ल्स इण्टर कालेज <br> हाथरस | शी रामदारा सिंह इण्टर <br> कालेज केशवपुर <br> करछना प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

> सुरेन्द्र कुमार तिवारी
> अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
> उत्तर प्रदेश।
> /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत ङाक द्वारा उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संसथा में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का सथानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी गी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 

आदेश संख्या:सागान्य(1)तृतीय /
स्थानान्तरण आदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवसथा एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रीमती वन्दना सिंह, <br> स०अ० | 02.2.2017 | चन्द्रशेखर आजाद <br> इण्टर कालेज सभागंज <br> पूरबनारा प्रयागराज | मेवालाल अयोध्या <br> प्रसाद रमारक इण्टर <br> कालेज सोरांव <br> प्रयागराज | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी <br> अपर शिक्षा निदेशक(मा0) <br> उत्तर प्रदेश। <br> /2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 9186-95 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबनक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवरथानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्रापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही सथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियॉ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।<br>आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 724<br>/2024-25 दिनांक<br>28 जून. 2024<br>स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून. 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम | नियुक्ति तिथि | कहॉ से | कहॉ को | अभ्युक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री तेजबीर स०अ० | 10.7 .2017 | नहरू इण्टर कालेज <br> महोबा | बंशगोपाल इण्टर <br> कालेज रसूलपुर <br> लदिगवा फतेहपुर | रिक्त पद <br> के प्रति |

## सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) <br> उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 9196-9205
/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निद्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करे। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निररत समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिदिर कार्यालय. 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्दशित करना सुनिश्चित करें।
3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।
6- गार्ड पत्रावली।


[^0]:    4- संबंचित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
    5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
    6- गार्ड पत्रावली।

